

(Shri Yogendra Makwana)
police records of the arrested persons, the address of Vijay Singh was found to be as "Vijay Singh, S/o Ram Lal, resident of Gangi Tikkar, Vijya Dhara, Sehand, Deoria". The SSP, Deoria was contacted on telephone and he has informed after enquiries that the address available in Delhi police records is not correct and no village of this name exists in district Deoria.

Further enquiries by the Delhi police reveal that one Vijay Singh from Gorakhpur is reported to have come to attend the demonstration on 16th March, 1980. SSP Gorakhpur has been requested to verify the matter. All efforts are being made to ascertain the complete and correct particulars of Vijay Singh so that he can be traced out.

15.27 hrs.

DISCUSSION ON THE TWENTY-FIFTH REPORT OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES—

contd

SHRI KUSUMA KRISHNA MURTHY (Amalppuram): Mr. Deputy-Speaker, Sir, while initiating the discussion on the Twenty-fifth Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Tribes for the year 1977-78, the Home Minister specifically said that the Government was committed to the cause of the scheduled castes and tribes. As a gesture towards that commitment, we can clearly find that the report laid on the Table of this House, just a few weeks ago has been brought up for discussion. Not only that. As a first legislative measure of this parliament, government has expressed its commitment in action by passing the 45th Constitution Amendment Bill. Keeping in my view the earnestness and seriousness of the government towards its commitment to SCs and STs I would like to put forth some glaring facts

to government in order to draw their special attention and thereby request the government to see that some of my suggestions are given serious consideration for implementation. At the outset, I should say that even after 32 years of our independence the declared national objective namely, justice, social and economic to all citizens, still remains a promise to these SC & ST communities. To assess the magnitude of their problem, first of all we must be able to know their real strength. Earlier, as a convener of the Joint Select Committee on Scheduled Castes and Tribes Amendment Bill of 1978 which intended to revise the lists of SC and ST, I was given to understand that at least a crore of Scheduled Castes are not included in the list of Scheduled Castes. Similarly, there are lots of complaints from Scheduled Tribes also for the need to revise their list. As an important commitment of the government the lists of these communities are to be revised forthwith by appointing a Joint Select Committee from both the Houses of Parliament so that we will be able to know exactly their correct strength in the country. As per 1971 census their strength stood at about 13 crores. In more than 600 taluks in the entire country their percentage remains more than 20; similarly in about 300 taluks in our country the tribal population remains more than 50 per cent. Besides, a very important aspect is coming up for consideration at a national level in 1980-81, namely the census operation, wherein we find that the persons who have been kept in charge of the collection of data are not taking proper interest so far as the data of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is concerned. They sit in Patwari's house and record whatever he says. This should not happen in this census operation. The operation must be strictly supervised by some of the persons coming from the minority communities and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, so that they can see that the work is

done properly and proper enumeration may be taken in a just manner.

The social aspect of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is not up to the mark. We know untouchability in many forms is being practised in spite of so many enactments. Article 17 of the Constitution is meant to abolish untouchability. Again in 1955 the Untouchability Offences Act was brought in to augment the movement speedily. In 1976 the Protection of Civil Rights Act was enacted with stringent measures. In between these two Acts, when I collected data there were about 22,470 cases of untouchability which were registered. Out of them only 1,893 cases have been taken to court. Out of them only 3,402 were compounded and 6,178 cases convicted. Not even 1/4th of the total persons involved in these cases have been taken to task. This clearly indicates, in spite of the fact that there are enactments, the practice of untouchability is rampant. We have been still seeing the forms of untouchability in various kinds in villages. Drinking water is not allowed to be drawn from the common well. There is no common barber, no common priest. Dhobi is not allowed to serve all equally. Above all, the places where they live have been kept outside the village and they are called Parallel villages namely, Harijan wadas, about 5 lakhs, are there in this country in the outskirts of the cities. Unless we demolish these parallel villages, it will not be possible to bring the Scheduled Castes into the mainstream of life.

In Divi Sema of Andhra Pradesh, there was a tidal wave. All the houses of the weaker sections had been swept away. While constructing the houses, they have devised a scheme to construct houses completely in a compact manner for all the communities. Now we see there is no parallel village. Unless this kind of act is initiated and implemented, we will not be able to remove untouchability.

SHRI M. RAM GOPAL READY: (Nizamabad): You want a tidal wave in every village?

SHRI KUSUM KRISHNA MURTHY: Yes, I want a social tidal wave in the entire country. While discussing this matter, our Minister said if there is a change in the attitudes of the priest class we can expect some social reform. But based on my experience I can emphatically say unless there is a complete change in the attitude of the people as a whole it is impossible to have the social inequalities removed through priest and heads. Therefore, there should be a mass movement countrywide—from all the sections and from all the corners of the country. Unless there is a war against social inequality, untouchability cannot be removed. Until and unless this movement comes into operation, any kind of laws cannot bring social equality.

The economic aspect of these communities is absolutely miserable. They form the bulk of the population, but the way in which they work and the kind of remuneration they get is not equal to the labour they put in. As per the 1961 census, out of the total population, the working force is 43 per cent. The working force which is meant for nation-building activities exclusively coming from the scheduled castes alone is 47.7 per cent, whereas from the scheduled tribes it is 57 per cent. As per the 1971 census, the percentage of working force out of the total population is 38 per cent. Here also the working force meant for nation-building activities exclusively coming from the scheduled castes is 36 per cent, whereas from scheduled tribes it is 38 per cent. Besides, the 1971 census clearly indicates that 82 per cent of the working force from the scheduled castes is confined only to the primary sectors, i.e., agricultural labour and other primary factors of the economy, whereas 92 per cent of the working force of the scheduled tribes is confined to primary sectors.

(Shri Kusuma Krishana Murthy)

This clearly indicates that there is no mobility of labour force in our country and we are not able to use the labour force properly for the growth of the national economy because of the social set up into which the society has been fragmented. Unless there is functional mobility among the different occupations, we will not be able to make the best use of the labour force for the proper growth of our economy. Therefore, the practice of more work and less return is continuing because of their helplessness. Even though there is huge food production in our country these communities are not able to have their food which they alone grow because they lack purchasing power. For the simple reason that they are not getting the remuneration for their labour. Therefore, it is not enough if we make some allocation here and there for their development. Unless there is a separate planning body with special allocations, it is not possible to bring them into the mainstream of national life on par with the other communities in the economic plane. There is a special tribal sub-plan. Here I would like to dispel a misconception. Most of the people think that the scheduled castes are placed in a better position as compared to the scheduled tribes because they are living in the mainstream of social life. It is a misconception. The scheduled tribes do not suffer the social stigma of untouchability whereas the scheduled castes suffer from it. Also, the tribals are not subjects to indiscriminate humiliation and atrocities for the simple reason that they are living in separate places. For instance there are two tribal States—Nagaland and Meghalaya. There are four tribal Union Territories—Arunachal Pradesh, Dadra and Nagar Haveli, Manipur and Mizoram. The tribals are living there in the tribal society where there is no scope for committing atrocities on them, whereas in the case of scheduled castes, they are scattered all over the country. They live in the society and are exposed to all kinds of atro-

citis. Therefore, these people require special protection.

To think that the benefits of general economic development are reaching them is a fallacious notion. The extension of all the benefits of economic development is stopped at the entrance of Harijanwadras. If you take the electrification programme, it goes only upto the Harijanwadras and stops there. Even if you build projects, they have no lands to cultivate. If you build factories, they have no money to invest. Therefore, unless you make special allocations for them, it is not possible for them to have the benefits of economic growth.

According to the 1971 census, the literacy of scheduled castes is only 14.67 per cent whereas for the rest of the population it is 33.80 per cent. Therefore, much has to be done to make them really literate. Unless we make them literate, they will not be able to understand what exactly are the protections guaranteed to them, what are the provisions enshrined in the Constitution and how to make best use of the safeguards and benefits exclusively meant for them. Therefore, more allocations must be allotted towards scholarships at all levels and also the number of hostels should be increased to help them to precipitate their education.

When we look into the details, you will find that the percentage of literacy among the girls of this community is very low as compared to boys. Therefore, as a matter of incentive, more and more separate hostels for girls should be built and more scholarships should be given to them.

About the reservation aspect which has already been discussed many a time here on this floor, I would like to lay stress on Article 335 of the Constitution which specifically lays down that the recruitment or promotion can be done with due regard to maintenance of efficiency. The spirit of this provision has been violated many a time in the guise of "efficiency" and suitability".

and all that. Unless this Article is suitably amended replacing the clause of "efficiency" with 'minimum required qualification', this injustice cannot be ruled out.

We have also been seeing that the reservations have not been implemented even upto the requisite percentage of 15 for Scheduled Castes and 7.5 for Scheduled Tribes in various categories of services even till today.

Another important factor I would like to stress is that even if there is a better Harijan candidate who passes the written test with very high marks he is pulled down to the reservation quota in the interview. If there is no reservation, do you mean to say that not a single Harijan candidate would have come into Class I and Class II services so far? Therefore, if a candidate is coming up in the examination well, he should not be pulled down to reservation quota and he must be taken into general quota. Unless there are punitive measures against those who are not implementing these measures strictly justice will never be extended to them at all.

Regarding the much discussed subject of atrocities on scheduled castes and tribes, we have seen that the Commission has suggested various measures. They are precautionary preventive and measures to rehabilitate. Of late, these atrocities have taken the form of "organised aggressiveness" particularly during the Janata regime and here in tackling this aspect, I could find lapses, during my personal visits to most of the places of atrocities. No doubt, they bring the culprits to book but I could find the bone of contention in these cases is the confiscation of the lands distributed to them during Mrs. Gandhi's regime. Unless we restore these lands to them, proper justice will not be given to them. Therefore, while dealing with the cases of atrocities, the Commission has correctly suggested various measures i.e. precautionary, preventive and punitive besides rehabilitative measures. Unless there is a separate body to implement these

measures, it is just impossible to expect justice. We have been seeing that there are safeguards for these people but they are observed more in violation than in implementation. Unless there is a separate Ministry to look after the welfare measures exclusively meant for this community and also to see that they are properly implemented, it is not possible not only to protect them but to extend the benefits of all developmental programmes meant for them exclusively by the Government which is committed to the cause of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Therefore, a basic change in the attitude of the Government and of the people at large towards these people is a must else it is not possible to extend the real benefits of whatever has been provided in the Constitution in the form of provisions for their safeguards and for their betterment in times to come.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Thungon—I find he is not here. Eduardo Faleiro.

SHRI EDUARDO FALEIRO (Mormugao): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Tribes, which are placed before us from time to time, and the provisions of the Constitution under the authority of which they are placed before us, point to the spirit of our national polity which for the last two decades wants oppression of man by man to go, which wants exploitation which has been here for thousands of years by some so-called higher classes of so-called lower classes to be ended, and this is the spirit which permeates our Constitution and which brings these Reports before us.

This is a problem which is socio-economic in nature. I would like to emphasize this is not a religious problem, this is a problem which is socio-economic. These people who are poor, who are deprived, and whom we call harijans socially, they exist not merely in the Hindu community. I want to declare in this House with all the strength at my command and

[Shri Eduardo Faleiro]

with all the conviction at my command that this type of poor miserable and unfortunate people exist not only in the Hindu community, but also in other religious groups.

We live under a Constitution and in a system of society or social direction and Government, which is secular in character and which, as I have said, wants to abolish, to put an end, to this ancestral oppression. Therefore, I fail to understand, and my brethren of Scheduled caste origin of Christian, Muslim and Buddhist denomination fail to understand.

AN HON MEMBER: What about Sikhs?

SHRI EDUARDO FALEIRO: I will come to Sikhs in a minute. We fail to understand the justice involved in restricting these privileges,—rather, they are not privileges, they are due to them—restricting the protection only to people belonging to the Hindu and Sikh community.

Here I will come to the problem of the Sikh community. The reason advanced is that it is only in the Hindu society the caste system exists that Christianity does not recognise castes, that Islam does not recognise castes and, as such, the question of having Scheduled Castes among Christians or Muslims does not arise. Then, I ask the House through you, Sir, what is the logic in giving protection to the Sikhs also as Scheduled Castes, apart from Hindus? Sikhism also does not recognise the caste system. Though in the Sikh religion caste does not exist, it is not recognised, in practice the reality is otherwise and caste discrimination is practised among the Sikhs. Therefore, Sikhs of Scheduled Caste origin are also given this protection. That is why I say that the protection should be extended to other people of Scheduled Caste origin, who happen to belong to Christian or Muslim religious denomination.

I should like to say that in our secular polity the question whether one belongs to this religion or that religion,

or no religion at all, is no concern of the State. It is a personal matter and the State cannot go into this question at all. The State must only consider whether there is social discrimination, whether there is economic disparity and then protect those who need protection. Here I would like to say that I have to hang down my head in shame, all people of Christian denomination must hang down their head in shame, that in Christianity, though in theory the caste system does not exist, they do practice the caste system and have discrimination.

I myself come from a village constituency which has a predominant Christian population of Scheduled Caste origin. In that area, and more to the south in Kerala and Tamil Nadu, we have a large number of people, our brothers of Scheduled Caste origin, in the Christian religion. Even within the precincts of the Church which says that there is no caste discrimination there are separate benches for caste Christians and Christians of Scheduled Castes origin. In our burial grounds, in our cemeteries, different provisions were made for them. Similarly, about Muslims I cannot comment because I do not know the Muslim society so well and I should not say anything about them, though I understand that there are Syeds and Sheiks (*Interruptions*) and Shias and Sunnis in that community. Here the Muslims are a very vocal group and a very enlightened group and I do not touch them, it is for them, put their case before this honourable Parliament.

I must, however, support the case of neo-Buddhists. Buddhists do not recognise caste. Dr. Ambedkar was against caste and he was a great champion of social equality. But this is no reason to deny the neo-Buddhists the benefits to deny the reservations.

I may go again to my own village where I have my younger friends who belong to Scheduled Caste origin, but just because they are Christians, they are not given benefits of reservations of seats in medical colleges and in engineering colleges and in jobs. These

people work for so many hours a day in the fields and still they manage to study and get good number of marks, but they cannot go in for advanced studies, and in my own constituency you don't find a single doctor or a single engineer from among those communities. They are all kept in this down-trodden position. This cannot continue. This should not be allowed to continue and therefore, I call upon the Government to extend in whatever way they want those benefits which are given to Scheduled Castes persons of Hindu religion and sikh religion, to people belonging or professing or supposed to be professing Christian religion or Buddhist religion. The Government may say that the benefits will be extended to the Scheduled Castes persons of Christian and Buddhist religions. The benefits must go to these large numbers of the unfortunate section of our population.

This is one point I would like to make, that is, that extension of benefits must be given to them. Now, I would like to tell the hon. Minister of State, because he comes from Gujarat, that during the last Parliament a Bill was introduced here providing for reservation for additional classes of people like *mochis* in Gujarat State and others. The Bill was for a limited purpose, but it was referred to a Joint Committee of the Houses and the broader question of extending these benefits to other classes of people and other sections of Scheduled Castes was considered. There are so many such people. In my own territory of Goa, there are so many people of Hindu community itself—Goud Maratha Samaj and other people—to whom these benefits must be extended and therefore, I call upon the Government to consider this whole question of extending benefits which are available to Scheduled Castes to other categories of people not merely in Gujarat, but in other parts of the country.

I have full faith in this particular Government, that it is committed to a

classless and a casteless society. Its credentials to secularism no one has challenged. Therefore, with this faith in the Government and the Home Minister, Mr. Makwana, who has been doing such a good job in such a short period, we are confident that these grievances, genuine and long-standing, grievances, would be remedied. Let it not be understood that I am putting forward some sectarian plea. If Christians, Buddhists and Muslims do not get the benefits of scheduled castes in the northeastern region, what will happen? Hindus of tribal origin are not given the benefits of tribals, only Christians are given, in Manipur. So, these religious differences must go and a uniform policy must be followed considering the socio-economic conditions, without reference to religion in this matter.

*SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to speak in Bengali. Sir we are discussing here the Twenty-fifth Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. At the very outset I would like to state even after 33 years of independence we are having this problem this should be a matter of national shame. This problem will have to be viewed as a national problem and with a national outlook. While participating in the discussion on the Constitution (Forty-Fifth Amendment) Bill, I had said, which had been mentioned by Mr. Falerio also a little while ago, that all the facilities should also be extended to the Neo-Buddhists and all those Scheduled Castes people who had been converted to Christianity. I had said it first on the Constitution (Forty Fifth Amendment) Bill. today many others are saying the same thing. Mr. Parulekar also supported me.

Now I come to the main subject. Sir, we will have to study the problem of Scheduled Castes, Harijans and Tribals with a total outlook. Many social, economic and emotional problems are entangled with it. If we also study

*The original speech was delivered in Bengali.

[Shri Krishna Chandra Halder]

this problem as a human problem then we may make progress towards solving it. It has been stated in this Report that excepting the Central Government and a few State Governments, most of the State Governments have not implemented the earlier recommendations of the Commission. I am quoting some portions from the report. At the very first page of the report it has been stated:

"The robust assurances to protect the weaker sections enshrined in Article 46 of the Constitution started looking pale. Each time an incident occurred, it was raised in public forums and in Parliament and debated as never before. The enormity of problem has long passed the stage of more statistical exercises. It was debated in terms of human failure and national commitment.

This has been admitted in the report. A short while ago the hon. Member Shri Chandrajit Yadav, in his speech had quoted about agricultural labourer and share croppers. I will not repeat those quotations and statistics. This report says:

"Out of a working force of 29 million among the Scheduled Castes, 15 million (51.8 per cent) were agricultural labourers and 8 million (27.9 per cent) were cultivators in 1971."

This is the situation Sir. These are the poorest sections of our people, who are being oppressed and are victims of atrocities even today. Sir, I am not participating in this debate with any party outlook. But we were told that Shrimati Indira Gandhi had framed some Twenty point or twenty four point or Four-twenty point programme during the days of 'Emergency' to tackle this problem. They claim to have solved the problem of bonded labour. But this report says, I quote:

"In our earlier reports the problem of bonded labour in the country has been repeatedly highlighted. It

has been estimated by an expert body that in 8 out of 10 States where bonded labourers have been identified, the number of bonded labourers may come to about 2 million. If the identification of bonded labourers is undertaken in other parts of the country, this figure would increase substantially. On the other hand, since 1976 when the Central legislation for the abolition of bonded labour system came into force only 1.05 lakh bonded labourers have been identified and out of them 31,000 only have been rehabilitated."

16.02 hrs.

[SHRI SHIVRAJ V. PATIL *in the Chair*]

Mr. Chairman, Sir, this shows that only 31,000 bonded labourers have been rehabilitated so far and the major portion of them are still living in conditions of slavery. I would like to draw your attention to another portion of this report which says:

"The practice of carrying night soil as head loads should be stopped forthwith by the municipalities and alternative tools provided to the private and municipal scavengers."

So this report states that the class IV employees in various municipalities and corporations have, even today, to carry night soil on their heads. This is the condition. Then about the unemployment situation among Scheduled Castes and Scheduled Tribes people it has been stated in the report:

"Unemployment among the educated Scheduled Castes and Scheduled Tribes is steadily growing. Although steps have been taken to enforce reservation orders in respect of public sector undertaking which have more avenues of employment, the private sector has remained outside the scope of reservation orders."

So, the unemployment problem among them is on the increase even today. I will request the Government to see that the private sector also provides job reservation for them. Now I will say something about land reforms and land

distribution. I have shown through statistics that a vast majority of these people are agricultural labourers and share croppers. They have not yet been provided with home sites.

Sir, I am proud to say that at least my State, i.e., West Bengal has implemented the land reforms properly, it has arranged for payment of minimum wages to the agricultural labours through legislation, and the share-croppers have been included in the record of rights. They have been given record of rights which have not been given to them at any other place that I know of. Further, Sir, to help them to carry on cultivation smoothly and efficiently loans have been arranged for them from the Nationalised Banks in my State. Shri Chandrajit Yadav has shown that out of 2 million hectares of surplus land, only 25 per cent of it has been distributed so far. Sir, in my State West Bengal alone 8 to 10 lakh acres of land has been distributed among landless agricultural labourers, about 95 per cent of whom belong to Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. As already stated loans have been arranged for the share croppers from the nationalised banks. In this context I will like to state that in the months of December and January last, the Chairman of the Scheduled Castes and Tribes Committee viz., Shri Bhola Paswan Shastri, who is an hon. Member of the other House, visited West Bengal for an on-the-spot study. After carrying out detailed enquiries and on the spot studies, he had openly said that the CPI(M) led left-front Government of West Bengal in this only State Government in the country who have carried out real land reforms, who have distributed land among the landless labourers, Scheduled Castes and Tribes and who have given record of rights to the share croppers and arranged loans for them from the nationalised banks. The respected Gandhian, Shri Bhola Paswan Sastri, has admitted with an open heart that what praiseworthy work has been done for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes by the CPI(M) led left-front Government in

West Bengal, has not been done by any other Government in the whole country. For this, I certainly can feel pride and glory. I will urge upon the Central Government and all other State Governments to follow and emulate the programmes of the left front Government of West Bengal in the regard, instead of hatching conspiracies to topple that Government. You should appreciate what progressive steps they are taking in a limited constitutional way. Sir, before going to other points I will draw your attention to page 4 of this report where in it is said:

“A study on atrocities on Harijans conducted by the Ministry of Home Affairs reveals that during the period 1974 to 1976, there was an increase of 41 per cent in the atrocities committed against the members of Scheduled Castes.”

But Sir, from June 1975 to 1976 was the period of “Emergency”. It is admitted that even during that period of emergency, there was an increase of 41 per cent in the atrocities on Harijans and Scheduled Castes. This fact is recorded in this report.

I will now draw your attention to another aspect. It has been stated in the report that it had not been possible to find out from the Bureau of Public Enterprises, the extent to which the representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Public Sector Undertakings was being fulfilled. The BPE is in fact creating obstacles. I quote from the report where it is said:

“The relevant data regarding representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Public Sector Undertakings were not made available to us by the Bureau of Public Enterprises in spite of our best efforts and repeated reminders. The indifference on the part of the BPE in responding to the queries from a statutory authority charged with the responsibility to investigate into the safeguards provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is indeed regrettable.”

[Shri Krishna Chandra Halder]

This is the sorry state of affairs. Before going to other points, Mr. Chairman, Sir, I will draw your attention and through you the attention of this House and the whole country to another thing recorded in this report. I quote:

"In spite of this fact, the policies and orders regarding reservation in employment for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the case of Government of India are not the same as these of the State Governments. The State Governments, in turn have pursued varied policies. While the Union Government and most of the States have not made any legislation, three States have made their own legislations regarding reservation. While some States are yet to provide reservation in posts filled by promotion, some States have even gone ahead of the Union Government in this respect; for example, the State of West Bengal has provided, through legislation, reservation in posts filled by promotion carrying pay just below Rs. 2,000 while in Government of India we have such reservation upto the lowest rung of Group 'A' only."

This report says that West Bengal Government is the only Government who have provided reservation through legislation, in all posts carrying pay just below Rs. 2000. Even Government of India have provided reservation upto the lowest rung of group 'A' only.

The West Bengal Government is carrying on relentless efforts for the upliftment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Sir, our Government in West Bengal have set up a Financial Corporation to provide financial assistance to SC & ST people, the tribals and other weaker sections. They are helping these people to organise small village and household industries. I will tell you

with what outlook and from which angle we, the leftists and communists view this problem. We feel that proper weightage will have to be given to the Scheduled Castes and the Tribals. In this context I may mention that the leftist Government of Tripura have created an autonomous Tribal district in Tripura with a view to the upliftment of the tribal people. This has not been done by any other State. Sir, we are also encouraging the minority languages in the hill areas. An academy has been set up for the Nepali language. Sir, to encourage the Adivasi, Santhalis. We have accorded recognition to their 'Alchiki' Santhali script which has not been done by any other State. In these ways, Sir, we are going on working within the limits and frame work of our Constitution, with a total and all compassing outlook.

Sir, I want to say that religion is a person's personal matter. Why are the Scheduled Castes, Tribals and untouchability etc. existing even today? They are existing because the class who are in control of state powers have all along used religion and religious sentiments to perpetuate their selfish interests and class exploitation of the masses. Untouchability has not been eradicated because we are proceeding with a Feudal outlook. If you try to build up a capitalist and Feudal State economy after providing constitutional safeguards only, then this problem will for ever defy solution. Therefore, Sir, we shall have to completely demolish and dismantle the existing socio-economic State structure which is founded on exploitation of man by man. If we can erect a new State structure and an outlook based on equality of man and equal rights and equal opportunities for all, then and then only we will be able to eradicate casteism, untouchability and all such evils, which are a matter of shame and a blot on the entire nation.

Sir, today one-fifth of our countrymen are living in sub-human conditions like animals. A farmer treats his cows and bullocks with more affection and feeling. He gets up at 4 O'clock in early morning to feed his cattle with nutritious food. But what are we doing, we have seen at Belchi and innumerable other places that Harijans are being burnt to death. We raise our voice and protest against apartheid and colour bar in Africa. But in our own country one-fifth of our people are living like animals in this class based society. We should all hang our heads in shame. Therefore, I say that we will have to adopt a total and comprehensive outlook. If we can demolish the present social, economic and State structure and build up a new structure based on equality of man, equal rights for all and if we enshrine right to work as a fundamental right in our constitution then only we will make progress towards eradicating this evil. Therefore let us stop political mud-slinging towards each other. Come, let us organise a round table meeting today with representatives from all political parties, all trade unions, all farmers organisations and all scheduled castes and scheduled Tribes people. Let us all jointly try to find a solution to this shameful problem with an open and sincere heart. A movement will have to be build up for eradicating untouchability with a time bound programme. Yes, it is recorded in this report that the Prime Minister had said that untouchability shall be eradicated within 5 years. But where is that? The problem has become more acute over the years. I hope that if all other State Governments and the Central Government can follow up the good work of the West Bengal Government, which they are performing within the limitations of the Constitution, then solution will be found to a considerable extent. Let land be distributed to landless labourers and share croppers through land reforms

let loans be arranged to share croppers from nationalised banks. Let minimum wages be ensured for agricultural labourers. Let the Class IV employees of municipalities and corporations be spared from carrying night soil on their heads. Every citizen of our country should be known simply as 'Indians' not a Harijans nor as Scheduled Castes nor as Bengalis or Assamese. All must be known and respected as 'Indians'. The non-Assamese are today being driven out of Assam this is indeed shameful. If we cannot develop a total outlook, if we cannot wage a united struggle against all oppression, exploitation and atrocities, then we cannot fight the root of the problem. I am aware of all the paths of these scheduled caste people. Many leaders say that caste struggle is the way of solving their problem. I do not agree with them. I feel that we have to embark upon a class struggle. We find millions of people among agricultural labourers, share croppers, factory workers etc. who do not belong to Scheduled Castes but who are being oppressed and exploited. So we have to take up united class struggle as we have done in West Bengal. We find atrocities being committed on Harijans in Bihar, U.P., Rajasthan, Madhya Pradesh, Haryana etc. But we do not come across such cases in West Bengal, Tripura, and Kerala. Why is it so? Sir, side by side with the freedom struggle, we had struggled against and fought casteism, untouchability etc. through the renaissance movements of Raja Ram Mohan Roy, Swami Vivekananda etc. The left movement and the Marxist movement is most pronounced in West Bengal and Kerala. Because of that we have been able to eradicate untouchability in West Bengal through struggle. I will request all other States and Central Government to follow our example irrespective of party affiliations. If you really want to eradicate poverty, if you are sincere then you declare this country as a socia-

list State. Then declare that you will frame a Socialistic Constitution for this country. You declare that religion here will be a personal affairs; caste will be a personal matter.

I am inviting you all to proceed with this outlook and to fight this evil jointly and unitedly with a time bound programme.

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : सभापति महोदय, आपने इनको इतना ज्यादा टाइम दिया है। अब आप मुझे मौका दे, ताकि मैं उनकी बातों का जवाब दे सकूँ।

MR. CHAIRMAN: The time is allotted to their party and the Member is entitled to speak for that time.

You will please note that the CPM party is allotted 30 minutes and he has spoken for 30 minutes

Shri Narsinh Makwana.

श्री सुन्दर सिंह मुझे बालने का मौका दे, मैं, जो वह बोले हैं, उसका जवाब दूंगा।

सभापति महोदय आप कल वोलिण्गा। कल तैयारी कर के उन की बात का जवाब दीजिएगा।
.. (व्यवधान) ..

You cannot do like that. Let him speak please.

श्री नरसिंह मकवाना (ढडूका) सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री ने 3, रिपोर्ट सभा-गृह में पेश की उस के बारे में मैंने अपने विचार रखना चाहता हूँ ...

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: In view of the uncertain position on that side the Parliamentary Affairs Minister should be there. Nobody is there to control them. Everybody is standing up. I can understand that Mr. Makwana can handle the matter even better than the Cabinet Minister in charge of the subject. But at least the Parliamentary Affairs Minister should be here.. . . .

MR. CHAIRMAN: Let me inform the hon. Member that the Members in the House do not control each other. It is the Chair which controls it. Let the hon. Member continue his speech.

श्री नरसिंह मकवाना : यह रिपोर्ट पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। इन के साथ असहमत होने का तो कोई तवाल नहीं है लेकिन तवाल यह है कि यह जो रिपोर्ट आई है उस को बराबर तफसील से देखा जाय तो हमारा यह विश्वास है कि जिन उसूलों पर हम खड़े हैं उन उसूलों से हमारा विश्वास डिग जाता है। खास तौर से महात्मा गांधी ने इस देश के लोगों को जो सिखाया और इस देश के गरीब लोगों को उन्होंने जो बचन दिया वह 32 साल की आजादी के बाद भी पूरा नहीं हो रहा है। हर साल लोक सभा के अन्दर ऐसी रिपोर्ट पेश की जाती है, उस के ऊपर चर्चा होती है, मगर सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जाने चाहिए वह नहीं उठाए जाते हैं। हर साल यह जो कमिश्नर है वह रिपोर्ट पेश करते हैं। वह बहुत से सुझाव भी रखते हैं। मगर उन सुझावों पर पूरा पूरा अमल नहीं होता है। अभी सभा-गृह जिस रिपोर्ट पर विचार कर रहा है उस को तफसील से देखें तो हमें क्या मिलता है? इस रिपोर्ट के अन्दर देश के गरीब लोगों और हरिजनों पर पिछले तीन सालों के अन्दर जो अत्याचार हुए, उस का पूरा इतिहास है। हिन्दू समाज के लिए यह बड़ी कलक-कथा है, बड़े कलक का टीका है। इस टीके को खत्म करने के लिए सरकार की भी जिम्मेदारी है और इस सभा-गृह की भी जिम्मेदारी है, ऐसा मैं मानता हूँ। कमिश्नर ने जो सुझाव दिए हैं वह सुझाव सिर्फ कागज में और फाइल में ही रहते हैं, उन पर अमल नहीं होता है। मिमाल के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, पिछली रिपोर्ट के अन्दर कमिश्नर ने सुझाव दिया था कि जो खानगी उद्योग धन्धे हैं, व्यापार हैं, उस के अन्दर भी हरिजन और आदिवासियों के लिए नौकरी में परमेष्ठन तय होना चाहिए। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उद्योग मंत्रालय ने इस बात को अस्वीकार किया, उन्होंने इस से इन्कार किया। उन्होंने यह कहा कि इस के लिए तो खानगी उद्योगों के साथ मिल कर कोई रास्ता निकालना चाहिए। इस लिए भेग यह कहना है कि इस के बारे में कोई कानून नहीं बनायेगा और कानून में तब्दीली नहीं करेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। कोई भी आदमी जिस के अन्दर खून है वह इस रिपोर्ट को पढ़ेगा तो उस की आँखों से आंसू के सिवाय और कुछ नहीं निकल सकता है। आप देखें, बेलछी में अत्याचार हुआ, पारमबीषा में हुआ, पिपरा में हुआ, बढैया में हुआ, पूणिया में हुआ। इस तरह 77, 78 और 79 के सालों को आप देखें तो ये अत्याचार के वर्ष हैं। सारे देश में कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो यह कह सके कि हमारे यहाँ यह नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्य अभी यहाँ पर बोले मगर उन के राज्य में भी यह जुल्म हो रहे हैं। इस तरह से इस देश का कोई राज्य और डि डिस्ट्रिक्ट बाकी नहीं है जहाँ पर, जुल्म नहीं हो रहे हो। आज हम इस रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं तो हमें इसके लिए कुछ तय करना चाहिए। सब से बड़ी दुख की बात यह है कि जब हरिजनों पर जुल्म होते हैं तो सरकार की तरफ से, खाम तौर पर पुलिस की तरफ से जो इन्तजाम होना चाहिए और जो मदद मिलनी चाहिए

वह नहीं मिलती है। बहुत सारे केसेज में तो हरिजनों पर जो जुल्म होते हैं उनके लिए पुलिस ही जिम्मेदार होती है। इस के बारे में सरकार की तरफ से जो भी जवाब दिया जाए वह भ्रमलग्न बाव है लेकिन जो स्थिति है वह बहुत ही गम्भीर है। आगरा में 1978 में क्या हुआ? हरिजनों का उसमें क्या गुनाह था? उन्होंने सिर्फ डा० अम्बेदेकर के नाम पर जुलूस निकाला था लेकिन वहाँ पर हरिजनों को मारा-पीटा गया और पुलिस ने भी गोलीबार किया। तो इसके लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। महात्मा गांधी और सरदार पटेल के राज्य गुजरात में भी हरिजनों पर अत्याचार हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए।

सन् 1977 में जब सरकार बदली तो उस समय यह हवा चली कि हरिजनों का सुख खत्म करो। सारे देश में हरिजनों के खिलाफ एक वातावरण तैयार हुआ जिसकी वजह से सारे देश में हरिजनों की पिटाई हुई और उनकी जमीनें छीनी गई। इसको रोकने के लिए हमको विचार करना चाहिए। हमको लगता है कि हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी पहली वजह है छत्रछात। कमिश्नर ने भी इस रिपोर्ट में कबूल किया है और कहा है कि छत्रछात पहला कारण है। दूसरा कारण यह है कि जहाँ पर हरिजन मजदूरी करने हैं और अपनी पूरी पगार मागते हैं तो वहाँ पर उनकी पिटाई होती है। वहाँ पर हरिजनों को मजदूर किया जाता है, जमींदारों की तरफ से, कि बिना मजदूरी के वे जमींदारों के खेतों में काम करें। जहाँ पर हरिजनों को छोटी छोटी जमीनें मिली भी है वहाँ उनसे वह छीनी जाती है। अगर देश में पिछले तीन सालों का सब किया जाए तो हजारों लाखों एकड़ जमीन हरिजनों से छीन ली गई है और उनको मारा पीटा गया है। यह उन पर जुल्म होने का तीसरा कारण है।

चौथा कारण यह है कि जहाँ कहीं हरिजनों में खूबसूरत मां, बहन और बेटियाँ हैं वहाँ पर उनके साथ अत्याचार बलात्कार होता है। सरकार इसको रोक नहीं पाती है। डिमॉक्रेसी की वजह से या किसी और वजह से सरकार पर दबाव आता है—चाहे यह सरकार हो या कोई दूसरी सरकार—लेकिन पिछले तीन सालों में हरिजनों पर जो अत्याचार हुए हैं उनको गरीब आदमी और हम लोग भूल नहीं सकते हैं। देश के कोने-कोने में लोगों के मन में यह बात बैठ गई है कि पुलिस हरिजनों की रक्षा नहीं कर सकती है। इसलिए जैसा कि श्री चन्द्रजीत यादव ने सुझाव दिया है कि इन मामलों को निपटाने के लिए खास अदालतों का निर्माण किया जाए।

श्री भुवनेश्वर सिंह : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट प्वाइंट ग्राफ आर्डर है। माननीय सदस्य जो बातें कह रहे हैं वह बातें तो हम लोग रोज ही कहते हैं कि हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। हमें तो इसके लिए हल निकालना होगा।

सभापति महोदय : प्वाइंट ग्राफ आर्डर तो प्रोसीजर के सम्बन्ध में होता है। यह आपका प्वाइंट ग्राफ डिसांडर है।

श्री नरसिंह मकवाना : सबसे बड़ी दुःख की बात यह है कि हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली से 40 किलोमीटर नजदीक कंशावला गांव में हरिजनों पर क्या हो रहा है? हरिजन वहाँ से गांव छोड़ कर भागना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर उनकी सलामती नहीं है। वहाँ के लोग बड़े पैसे वाले हैं और वे हरिजनों को मार रहे हैं। 20 जुलाई, 1979 को कुछ गांवों के बड़े किसानों, बड़े लोगों ने श्री चरण सिंह का नारा लगा कर जुलूस निकाला और हरिजनों के खेतों को उजाड़ दिया, हरिजनों को मारा-पीटा, उनके खेतों में जो माल पड़ा था उसको खत्म कर दिया और सरकार कुछ नहीं कर सकी। आज गांवों के अन्दर हरिजन जिन्दा हैं, मगर जिन्दा नहीं है वह मुर्दा है, उनके रक्षण के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है।

पिछले चुनावों के अन्दर जब श्रीमती इन्दिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को अपार बहुमत मिला, मगर मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उन चुनाव में देश के कई भागों के अन्दर हरिजनों को वोट डालने नहीं दिया गया। जो देश के नागरिक हैं वे पिछले चुनाव में अपने मत का उपयोग नहीं कर सके। इन चीजों को दूर करने के लिए हमारी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। जहाँ तक कानून और व्यवस्था को संभालने का प्रश्न है, यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, गरीब लोगों आदिवासियों को हरिजनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, लेकिन इन मामलों में राज्य सरकारें कुछ नहीं कर पाती हैं या वे जानबूझ कर नहीं करती हैं। ऐसी हालत में मेरा आपके द्वारा मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार को विधान के मुताबिक, हरिजनों, आदिवासियों और गरीब लोगों को जो अधिकार दिए गए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। अगर इस प्रकार के कदम नहीं उठाये जायेंगे तो वहाँ के गरीब लोगों और हरिजनों के अन्दर विश्वास और हिम्मत पैदा होने वाली नहीं है। यह भी मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहता हूँ।

इस अनुसूचित जाति और जनजाति की रिपोर्ट पर कमिश्नर ने जो ग्यारह सिफारिशें की हैं, सुझाव रखे हैं, उन सुझावों को सरकार कितना स्वीकार करती है, इस बात का स्पष्टीकरण मंत्री जी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सुझाव नं० पांच पर यह कहा गया है कि हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी जमीनें छीन ली गई हैं, उनकी मां-बहनों को इज्जत लूटी जा रही है, ऐसे केसों के लिए, मैं मंत्री जी से उम्मीद करता हूँ कि वे एक स्पेशल अदालत बनायेंगे, ताकि उन केसों को जल्दी से जल्दी हल किया जाए।

बहुत से लोगों ने हरिजनोत्थान के बारे में कहा है कि विधान के 30 साल के अन्दर जो सुविधाएँ

[श्री नरसिंह मकवाना]

इन को दी गई हैं उसकी वजह से वे बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत पीछे वाले हो गए हैं, मगर ये सब बातें गलत हैं। इसके बारे में बहुत से कमीशन बैठे हैं और वे कहते हैं कि थोड़े से लोगों को नौकरियां तो जरूर मिली हैं, प्रमोशन भी हुए हैं, मगर 85 फीसदी हरिजन और आदिवासी भूखे मर रहे हैं। देहातों में उनके पास खाने के लिए न अनाज है, न रहने के लिए घर और न पहनने के लिए कपड़ा है, वे लोग गुलाबी की जिन्दगी बसर कर रहे हैं। बहुत से लोग प्रचार कर रहे हैं कि सरकार ने विधान के अन्दर जो हरिजनो को सुविधायें दी हैं, वे खत्म कर देनी चाहिए। इसी वजह से हरिजनो को जो नौकरियां मिलती हैं, उनके प्रमोशन होते हैं, वे उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाते हैं। गुजरात के अन्दर मैडिकल कालेज में प्रोस्ट-ग्रेजुएट हरिजन डाक्टरों को प्रमोशन मिला तो वहाँ के लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा कर स्ट ले आए। अगर हमारी सरकार और हम कुछ कहना चाहते हैं और यह सदन कुछ करना चाहता है तो उनकी इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए हमें सोचना चाहिए। अब तो राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार में भी जाति के नाम पर सगठन बनने लगे हैं। कर्मचारी लोग अपनी मांगों को पूरा करने के लिए यूनियन बनाने हैं, तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं भी ट्रेड यूनियन में काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मगर राज्य सरकारों में जाति के आधार पर सगठन बन रहे हैं। शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का सगठन बन रहा है। उन सगठनों का यही काम है कि जहाँ शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को नौकरी मिलती है, प्रमोशन मिलती है, वे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा कर स्ट ले आते हैं। इस बात को रोकने के लिए सरकार को कुछ इन्तजाम करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर विधान में हरिजनो और आदिवासियों के लिए इन्तजाम नहीं किया गया, तो जो आपने विश्वास दिलाया है, वह खत्म हो जाएगा।

एक बात कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि गुजरात के अन्दर मोची जाति के जो लोग हैं, उनको शैड्यूल्ड कास्ट्स में लेना चाहिए। जब हमारा संविधान बना था, उस समय शैड्यूल्ड कास्ट्स में वही लोग लिये गये थे जिनको हिन्दू समाज के लोग अस्यूश्य मानते थे। गुजरात में मोची जाति की आबादी 5 लाख है, लेकिन वे अनटचेबिल नहीं गिने जाते थे, हिन्दू समाज के लोगों के साथ रहते थे, उनके खाने-पीने में भी शामिल होते थे, बल्कि वे खुद हरिजनों के साथ अस्यूश्यता करते थे। सारे सारे देश के अन्दर मोची अस्यूश्य हैं, अनटचेबिल हैं, लेकिन गुजरात की बात अलग है, वहाँ वे अस्यूश्य नहीं। जिन माननीय सदस्य ने इस बात का खिन्न किया है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि किसी वजह से जो गलती उस वक्त हो गई थी, उसको अब इस सभा से आग्रह कर के सुधारना

पड़ेगा, लेकिन इस के लिए ऐसी बात कहना ठीक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि गुजरात के मोचियों का जो सवाल है, उस के बारे में हमारी सरकार फौरन कुछ कदम उठायेगी।

इस रिपोर्ट को मैंने ध्यान से पढ़ा है, दूसरे माननीय सदस्यों ने भी इसको पढ़ा है—सभी सदस्यों को यह देख कर दुख होता है कि हमारे 32 साल के स्वराज्य के बाद भी इस देश में लाखों लोगों की यह हालत है—इनके सुधार का काम अभी आगे बढ़ सकता है, जब सरकार इस बारे में कुछ कदम उठाये।

श्री सुरज भान (अम्बाला) सभापति महोदय, मैं श्री मकवाना जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ—उन्होंने इस रिपोर्ट पर काफी जल्दी यहाँ पर डिस्कशन शुरू करा दिया है। लेकिन एक बात का दुख भी है और वह यह कि यह रिपोर्ट पिछले साल राज्य सभा में पेश हो चुकी थी, लेकिन लोक सभा में पिछले सेशन में पेश की गई। उस के बाद जब मैंने इस पर डिस्कशन के लिए “नो-डे-यट-नेम्ड-मोशन” का नोटिस दिया तो उसी दिन गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आ गया कि इस पर डिस्कशन होगा। लेकिन इसकी नकल हमें कल शाम को मिली है, इस लिए इसको पढ़ने का हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला। क्या नौकरशाही यह चाहती है कि मेम्बरन इस रिपोर्ट का पढ़े वगैर इम बटम में हिस्सा ले? इससे पहले इस रिपोर्ट को कटा छुपा कर रखा गया था, कौन इसको छुपाए बैठा रहा—इस बात की एन्क्वायरी होनी चाहिए, हरिजनों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए।

आपने 8 घण्टे का टाइम हम पर बहस के लिए दिलवाया है, इस के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।

श्री अरविन्द नेताम (काकेर) अब 10 घण्टे हो गये हैं।

श्री सुरज भान यह तो और भी अच्छी बात है, अब मेम्बरों को अपने दिल की बात ज्यादा खुल कर कहने का मौका मिलेगा।

सभापति जी, हिन्दुस्तान में हरिजनों की क्या हालत है—एक शायर ने कहा है—

गुनहगारों में शामिल हूँ, गुनाहो से नहीं बाकिर,
सच्चा तो जानता हूँ मैं, खुदा जाने खता क्या है।

हजारों सालों से हमारी क्या हालत है? हमने कौन सा गुनाह किया है? क्यों हमारे साथ एट्रासिटीज हो रही हैं—यह किसी ने नहीं बताया। हरिजनों ने हिन्दुस्तान को कुछ दिया है, हमेशा से देते चले आये हैं, रिजर्वेशन के हिसाब से तो आपने कुछ मामूली सा ही उनको दिया होगा।

आप रामायण काल से ले लीजिए, वेदों को छोड़ कर, जिन को ईश्वरीय ज्ञान बतलाया जाता है, जो किसी इन्सान की लिखी हुई किताबें नहीं हैं, हमारे यहां दो ही ऐसी सामाजिक या धार्मिक किताबें रह जाती हैं—जिन को सब मानत हैं—एक महाभारत और दूसरी रामायण। महाभारत महर्षि वेदव्यास ने लिखी, जो एक मल्लाह की बेटी के पेट से पैदा हुए थे। दूसरी किताब रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी जो खुद एक अछूत थे। इन दोनों किताबों को देनेवाले हरिजन थे। इसी तरह से भारतीय संविधान को देने वाले—डा० बाबा साहेब अम्बेदकर भी एक अछूत थे। आप देखिए—हरिजनों ने हिन्दुस्तान को कुछ दिया ही है, लिया कुछ भी नहीं—फिर भी उन के साथ इस तरह का व्यवहार होता है।

अब मैं सब से पहले एट्रॉसिटीज पर आता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस राज में एट्रॉसिटीज ज्यादा हुई और कुछ कहते हैं कि जनता के राज में ज्यादा हुई। लेकिन मैं कहता हूं कि एट्रॉसिटीज सब से पहले "राम" के काल से शुरू हुई। राम ने शम्बूक मुनि का गला काटा था, जब कि वह भगवान की पूजा कर रहे थे। उन का क्या क्रूर था? एट्रॉसिटीज वहां से शुरू होती हैं और उस के बाद लगातार होती आई। ऐसा क्यों होता है? मैंने पहले कहा है कि इस के लिए जिम्मेदार कौन है—यह अलग बात है, लेकिन इस को रोका कैसे जाय? मैं यहां पर सब से पहले कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। मेरा सब से पहला सुझाव यह है कि आप स्टेट लेवल पर भाल में कम से कम एक बार शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेम्बर्स तथा कुछ अन्य मेम्बर्स जो इस में इण्टरस्ट रखते हैं, उन की ग्रुप-वाइज मीटिंग कीजिए। साल में एक बार हम मिलें और अपने दिल की बात आप के सामने कह सकें, अपने सुझाव दे सकें, आप को रास्ता दिखा सकें। हम बता सकें कि हमें वहां क्या दुख हैं और उनका इलाज क्या है। साल में कम से कम एक बार ग्रुपवाइज इस की मीटिंग हो जाए।

सभापति महोदय, एट्रॉसिटीज के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहां तक मेरा ख्याल है, इस के तीन कारण हैं। पहला कारण सामाजिक है, छुआछूत है और उस का आधार यहां का जात-पात का सिस्टम है। जब तक यह जात-पात का सिस्टम खत्म नहीं होगा, तब तक एट्रॉसिटीज खत्म नहीं हो सकतीं। कुछ लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर की जाए। मैं तो कहता हूँ कि आप जात-पात और छुआछूत को खत्म कर दीजिए, हम रिजर्वेशन नहीं मांगेंगे।

W do not want a golden chain.

आप खत्म कर दीजिए छुआछूत को, इस किस्म की जंजीरों को और उस के लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। जात-पात तब तक खत्म नहीं होगा जब तक अनटचेबिलिटी, छुआछूत को बढ़ावा देने वाली धार्मिक किताबें यहां पर मौजूब हैं, उन का रिब्यू

नहीं किया जाता। कुछ किताबों में यह लिखा है कि शूद्रों के साथ ज्यादाती करना, महिलाओं के साथ ज्यादाती करना आप का अधिकार है। जब तक वे किताबें मन्दिरों में पढ़ाई जाएंगी और धार्मिक सभाओं में रोज ये उपदेश दिये जाते रहेंगे, तब तक छुआछूत नहीं मिटेगी। मैं मांग करता हूँ कि ऐसी धार्मिक किताबों का रिब्यू कर के ऐसे पोरशनों को—अगर आप उन किताबों को बँन नहीं कर सकते—निकलवा दें। एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि हम ने सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाया हुआ है, छुआछूत दूर करने के लिए एक्ट बनाया हुआ है और दूसरी तरफ जिन किताबों से छुआछूत को बढ़ावा मिलता है, और शंकराचार्य ऐसी बात को बढ़ावा देने की बातें कहते हैं, उनका रिब्यू नहीं करते, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। इसलिए मेरा कहना यह है कि ऐसी किताबों का रिब्यू होना बहुत जरूरी है।

इस का दूसरा कारण है लैंड प्रॉब्लम। उस के लिए कानून तो स्टेट्स में बने हुए हैं लेकिन जब तक उन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा और इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं लाजमी तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप यह चाहते हैं कि सरप्लस जमीन मिले जो कि हरिजनों को दी जा सके, तो उस के लिए फैमिली की डेफीनीशन को रिवाइज करना होगा। आज एक कुनबा है, तो उस कुनबे में 20, 20 आदमी शामिल हैं। आप फैमिली प्लानिंग की बात कहते हैं और कहते हैं कि तीन बच्चे हों और अब तो दो बच्चों की बात कहने लगे हैं। जब ऐसी बात है तो फैमिली की डेफीनीशन में यह होना चाहिए कि 5 से ज्यादा उस के मेम्बर नहीं होंगे। अगर आप भेरे इस सुझाव को मान लेते हैं, तो आप को काफ़ी सरप्लस जमीन मिल जाएगी बरना कुछ नहीं होने वाला है। आप चाहे कुछ भी कहते रहिए।

एक बात और कहना चाहता हूँ कि अक्सर यह देखने में आता है कि जब भी इलेक्शन होते हैं, तो उन इलेक्शनों के बाद हरिजनों पर प्रत्याचार होते हैं। जब कोई हरिजन सरपंच एम० एल० ए० या एम० पी० बन कर आता है, तो अक्सर दूसरे जो ताकतवर लोग हैं, वे इन कमजोर वर्गों के लोगों को दबा लेते हैं और ये कमजोर होने के कारण उन का मुकाबला नहीं कर सकते। इस के लिए मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूँ कि सेक्टर की इस में कुछ न कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप इस मामले को प्योरली स्टेट्स पर छोड़ देते हैं और यह कह दिया जाता है कि यह स्टेट का सबजेक्ट है। मझे याद है कि पिछले साल जब तमिलनाडु में एक जगह पर हरिजनों पर प्रत्याचार हुए, वहां पर जब एक पार्लियामेंटरी कमेटी ने जाने की बात की, तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने यह कह दिया, यू केज नाट कज : आप यहां नहीं आ सकते हैं। इस तरह से वहां जा कर कमेटी उस मामले को भी नहीं देख सकती। अगर यह सिचुएशन रहती है और सेक्टर तमाशा देखते रहे, तो यह ठीक बात नहीं है। आर्टीकिल 46 जो हमारे कांस्टीट्यूशन की है, उस में सेक्टर पर हरिजनों के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी

[श्री सुरज भान]

है कि वह उन के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। उन लोगों पर अत्याचार होते रहें और यह कह दिया जाए कि यह तो स्टेट का मामला है क्योंकि ला एण्ड आर्डर स्टेट का सबजेक्ट है, यह मेरी समझ में उचित बात नहीं है। इस के लिए मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि सेन्टर में एक सैल बनाया जाना चाहिए और वह सैल मिनिस्ट्री आफ होम एफेयर्स में बनना चाहिए।

एक बात यह कहनी है कि सिविल प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट में यह प्रोबिजन है कि स्पेशल कोर्ट्स बनाई जा सकती हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि कितनी स्टेट्स ने इन लोगों के लिए ऐसी स्पेशल कोर्ट्स बनाई हैं। एक स्टेट ने भी नहीं बनाई है। मैं नहीं चाहता कि जूडीशियरी को क्रीटीसाइज करूं लेकिन मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। तमिलनाडु में तंजावर जिले में ग्राम किलवेनमनी में 32 हरिजनों को जिन्दा जला दिया गया। और जिस वक्त केस कोर्ट में चला तो हाई कोर्ट का फैसला था कि अभीर और सोशल स्टेट्स के आदमी कत्ल कर ही नहीं सकते। वे सब के सब छूट गये, किसी एक को भी सजा नहीं हुई। इसलिए स्पेशल कोर्ट बननी चाहिए।

मैं अपनी स्टेट हरियाणा, जहां से मे आता हूँ, का जिक्र करना चाहता हूँ, वहां हुए अत्याचार की जानकारी देना चाहता हूँ। इस में कोई व्यक्ति इन्वोल्ड नहीं है बल्कि वहां की गवर्नमेंट इन्वोल्ड है। दाहिना नाम का एक वहां गांव है जिसका एक हरिजन पकड़कर, एक चोरी के मामले में थाने में ले जाया जाता है। इन्वारी के नाम पर उस को पकड़ कर ले जाया जाता है। वहां पर उस पर ट्राचर होता है। उसकी बीबी थाने में खाना लेकर जाती है। उससे कहा जाता है कि तुम उसे खाना नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि वह आदमी थाने के आंगन में कपड़े से ढका हुआ लटा हुआ था। वह लटा नहीं था बल्कि उसकी लाश उस कपड़े से ढकी हुई थी। हकीमत यह थी कि पुलिस के टाचर के कारण वह मर चुका था। महिला थाने से रोती हुई घर जाती है। उसके तीन दिन के बाद दिल्ली की पुलिस हरियाणा जाती है। पता नहीं किस केस के लिए जाती है। उस पुलिस के द्वारा उस महिला को उसके घर से बुलाया जाता है और पुलिस का सब इन्स्पेक्टर उसे गोली से उड़ा देता है। इस में एक स्टेट नहीं दो स्टेट इन्वोल्ड है। आपने नारायणपुर को ले कर उत्तर प्रदेश सरकार को बरखास्त किया। इस के बारे में ये तो कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर किसी सरकार को भी डिसमिस किया जाना था तो सबसे पहले हरियाणा सरकार को डिसमिस किया जाता जहां कि इस प्रकार का काण्ड होता है।

सभापति महोदय, इसके विषय में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता, केवल कुछ सुझाव देना

चाहता हूँ। हर जिले के एस० पी० और सी० सी० को ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उनकी सी० आर० में एक कालम होना चाहिए कि उस आदमी का इन आदिवासियों और हरिजनों के प्रति एटीच्यूट क्या है। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि जो ऐसे केसिज के विक्टिम हों उन्हें फुल कम्पेन्सेशन दिया जाए और जो असल मुल्जिम हो ऐसे एट्रोसिटीज के केसिज के उन्हें केवल सजा ही नहीं मिलनी चाहिए बल्कि उनकी सारी प्रापर्टी भी कंसफीसकेट कर लेनी चाहिए। यह न हो कि मुल्जिम को सजा हो गयी तो उसकी जमीन और प्रापर्टी से उसके बच्चे और परिवार के लोग आराम से गुजर बसर कर सकें। अगर उसकी प्रापर्टी का कंसफीकेशन भी हो जायेगा तो ऐसा नहीं होगा। जैसे कि हरिजन एक कमाने वाला मर जाता है तो बच्चे भूखे हैं। तीसरा मेरा सुझाव है कि जिम एरिये में भी ऐसी घटना होती है, उस एरिये में कलेक्टिव फाइन होना चाहिए। कुछ सेन्सेटिव स्टेट्स में कुछ सेन्सेटिव एरियाज हैं जिनके कि आरज लाइसेंसिज कौंसिल किए जाने चाहिए और वहां के अनलाइसेंसड आर्म्स भी ले लेने चाहिए। हरिजन और आदिवासी लाठी से कैसे इन हथियारों का मुकाबला कर सकता है। नहीं तो मुझे यह कहने में कोई हिचकचाहट नहीं है कि हरिजन और आदिवासियों को भी लिवरली आर के लाइसेंस देने चाहिए। अगर आप दूसरों को आर्म्स दें तो हरिजन और आदिवासियों को भी निहत्ता न रहने दें।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आज हरिजन और आदिवासियों में इन अत्याचारी के कारण एक जगाति आ चुकी है। पुराने लोग तो इन जुल्मों को बर्दाश्त कर लेते थे लेकिन उनके नौजवान बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उन का खून खौलता है और इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर इन चीजों को ठीक ढंग से टेकल नहीं किया गया तो इस देश में हरिजन आदिवासियों के ऐसे तत्व भी हैं जिनमें बटवारे की सेप्रेटिज्म की भावना चल रही है। ये आपको कहना चाहता हूँ कि इस को समय रहते चैक कर लीजिए, वरना यह मुल्क लावे पर खड़ा है। मैं आपको पहले से आगाह कर रहा हूँ, कि आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर हरिजन और आदिवासियों ने सिर उठा लिया तो यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा। ये नहीं चहपाता कि देश में किसी के मन में सेप्रेटिज्म की भावना आये। अगर वक्त कपर इस चीज को रोका नहीं गया तो हरिजन और आदिवासी भी जुल्म और ज्यादती के खिलाफ खड़ा हो सकता है।

एक बात में जमीन के बारे में भी कहना चाहता हूँ। जहां मैंने सरपल्स एक्ट बनेरा की बात कही वहां भी यह भी कहना चाहता हूँ कि हरिजन जो अपने पैसे से जमीन खरीदते हैं व

जमीन भी उन से छीन ली जाती है। आप राइट आफ प्रीएम्पशन की बात सुन कर हैरान होंगे। एक गरीब हरिजन कोई जमीन खरीदता है, उसकी जमीन को किसी से एप्लीकेशन दिलवा कर के और ज्यादा पैसे दे कर के ले लिया जाता है। ऐसे में सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ। पंजाब में पहली बार एक कानून बना था कि जहाँ हरिजन टेनेंट कोई जमीन खरीदता है तो राइट आफ प्रीएम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब वह खत्म कर दिया गया है। आप स्टेट्स को मुझाव दें कि अगर कोई हरिजन या आदिवासी या दूसरा मुजायरा भी अपने पैसे से जमीन खरीदता है तो उस पर राइट आफ प्रीएम्पशन लागू नहीं होना चाहिए।

लैंड के बारे में एक और बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि कंझावाला की जो टैडेंसी है उसको आप को कब्र करना चाहिए। एक भ्रसे से वहाँ यह सब हो रहा है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

इनके वास्ते स्कालरशिप का एमाउंट भी आपको बढ़ाना चाहिये। प्रोफेशनल इस्टीमेट यूनियन में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं जैसे डाक्टर हैं, इंजीनियर हैं उनको इंटरैस्ट फ्री लांग टर्म लोन दिए जाने चाहिये। प्रोफेशन में आने के बाद उन से इन लौज को वापिस लिया जा सकता है।

इन लोगों को स्कालरशिप लेने में भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हर साल उन से हरिजन होने का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। मेरा मुझाव है कि एक बार ही उनको एंटाइटलमेण्ट कार्ड बना कर दे दिया जाए और हर साल उस कार्ड पर उनको पैसा देने की व्यवस्था कर दी जाए।

फारेन जो स्टडी के लिए जाते हैं उन में हरिजनों और आदिवासियों की संख्या और उन के लिये स्कालरशिप का नम्बर बढ़ाया जाना चाहिए।

आपने एक बुनियादी बात कही है कि जब तक इनकी इकोनॉमिक हालत नहीं सुधरेगी, अनटचे-बिलिटी भी नहीं जाएगी। इनकी आबादी देश में 25 प्रतिशत है। मेरा मुझाव है कि बजट का 25 परसेंट इनके लिए रिजर्व किया जाए। किसी स्टेट का कोई प्लान तब तक मंजूर न किया जाए जब तक उसका 25 प्रतिशत भाग इनके लिए मुकरर न हो।

1978 में एक वर्किंग ग्रुप इनके लिये एप्वाइंट हुआ था। उसने रिपोर्ट पेश की जिसको Working Group on Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other Backward Classes Report

इस ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट के फ्रस्ट पेज पर यह लिखा है।

The Ministry of Home Affairs appointed a working group on the 8th December, 1977 for the formulation of strategy and programme priority on the welfare of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, etc.

मन्त्री महोदय ने अभी कहा कि श्रीमती इदिरा गांधी ने 1975 में एक भाषण दिया था और उसके आधार पर यह रिपोर्ट बनी। मुझे खदशा था कि कहीं इस रिपोर्ट को फेंक न दिया जाए। मुझे खुशी है कि इसको आप एडाप्ट कर रहे हैं। चूंकि जनता पार्टी के राज्य में हुआ है इस वास्ते मुझे खदशा था।

श्री योगन्ध्र मकवाना : मैंने ऐसा नहीं कहा है मैंने यह कहा कि उनके भाषण के मुताबिक स्पेशल कम्पोनेंट प्लान रखा गया है।

श्री सूरज भानु : मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आप इसको एडाप्ट कर रहे हैं। मुझे डर यही था कि कहीं इसको फेंक न दिया जाए इस आधार पर कि जनता पार्टी के राज्य में ऐसा हुआ है।

आज बिड़ला देश का सबसे बड़ा जुलाहा है, टाटा सबसे बड़ा लुहार है और बाटा सबसे बड़ा चमार है। इन के जो भी प्रोफेशन हैं इनके पास जो भी टेक्नीक है, इनको जो कुछ भी आता है वह सब इन से छीना जा रहा है। कुछ तो इन लोगों के पास आप रहने दें। इन लोगों को इंटरैस्ट फ्री लोन दें, इन के वास्ते इंडस्ट्रियल शैड्यूल बनाए, डिस्ट्री-ब्यूशन एजेंसीज में इनको इनका शेयर दें तभी इनकी हालत सुधरेगी। बहुत से और मुझाव हैं जो बाद में दिए जा सकते हैं।

नैशनलाइज्ड बैंक की एक डी आर आई स्कीम है। मैं चाहता हूँ कि इन बैंकों से इन लोगों को कम से कम पच्चीस परसेण्ट लोन दिया जाना चाहिए।

अब मैं सर्विसिस के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। इतने साल की आजादी के बाद 1-1-78 को जो पोजिशन थी वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइव्स के लिए 22.5 परसेंट का रिजर्वेशन है, पन्द्रह परसेंट हरिजनों के लिए और साढ़े सात परसेंट शैड्यूल्ड ट्राइव्स के लिए। क्लास 1 में आप देखें कि सेंट्रल सर्विसिस में शैड्यूल्ड कास्ट्स 4.49 प्रतिशत थे और शैड्यूल्ड ट्राइव्स 0.84 प्रतिशत। क्लास 2 में 6.33 परसेंट और 0.74 परसेंट। क्लास 3 में 11.46 प्रतिशत और 2.01 प्रतिशत। रिजर्व बैंक जो गवर्नमेंट आफ इंडिया का है उस में इन दोनों का कम्बाइंड रिजर्वेशन 1.88 प्रतिशत ही

[श्री सूरजमान]

था। इसी तरह से स्टेट बैंक में 1.36 प्रतिशत था। सैपरेट फिगरजें इन्होंने नहीं दी है। इतनी बुरी हालत है। हर स्टेट में यह हालत है। मैं केवल बीमारी प्वाइंट आउट करना नहीं चाहता। अगर आप ईमानदारी से चाहते हैं कि इन की हालत सुधारे तो आपको इसके उपाय करने होंगे। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और मणिपुर ने एकट बना दिए हैं। वेस्ट बंगाल ने तो बहुत अच्छा काम किया है। उसने पीनल क्लास की व्यवस्था कर दी है। अगर कोई अफसर ठीक काम नहीं करेगा तो उसको पीनेलाइज किया जा सकेगा। मामूली चोरी कोई करता है तो उसके लिए तो सजा का प्रावधान है लेकिन रिजर्वेशन जिस के बास्ते संविधान में व्यवस्था है अगर उस व्यवस्था को कोई लागू नहीं करता है तो उस के लिए कोई सजा नहीं है। मैंने एक बिल पिछले सप्ताह इंटीडयूज किया है इसके बारे में और अगर आप एश्योरेस दे देते हैं कि आप इसके बारे में सेंड्रल एकट बनाएंगे तो मैं अपना बिल वापिस लेने के लिए तैयार हूँ। सेंड्रल गवर्नमेंट की तरफ से जब तक एकट नहीं बनेगा और स्टेटस में भी वैसी ही व्यवस्था नहीं होगी तब तक काम नहीं बनेगा।

17 00 बजे

सभापति महोदय, उनकी सर्विस एसोमियेशन्स बनी हुई हैं उनको भी रिकग्नीशन दीजिए। मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स की तरफ से आर्गमेंट आता है कि कास्ट के आधार पर हम रिकग्नाइज नहीं करते हैं। जब कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि शेड्यूलड कास्ट कास्ट नहीं है। उन्होंने कहा है

Scheduled caste is not a caste; it is a combination of castes, not a single caste.

इसलिए आपके सामने कठिनाई नहीं आनी चाहिये।

मेरा सुझाव है कि अगर आप उनकी हालत सुधारना चाहते हैं तो हरिजन और आदिवासियों के लिए एक सैपरेट मिनिस्ट्री होनी चाहिए। वेस्ट पंजाब से जब कुछ लाख शरणार्थी आये थे तो उनके लिए आपने एक रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री बनाई। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो हजारों साल से करोड़ों रिफ्यूजीज हैं उनके लिए आप क्यों नहीं अलग से मिनिस्ट्री बना सकते हैं? पाकिस्तान में तो कुछ लाख शरणार्थी ही आये थे, जब कि शेड्यूलड कास्ट्स और ट्राइब्स हजारों साल से करोड़ों की तादाद में रिफ्यूजीज हैं। इसलिए इनके लिए अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिए।

ऐट्रोसिटीज का मतलब यही नहीं कि किसी का गला काट दिया एक और ऐट्रोसिटी उनके साथ हो रही है। आज जिनियों के गुरु की, मुसलमान भाइयों के धार्मिक नेताओं, सिखों के धार्मिक नेताओं

के जन्म दिन की छुट्टियाँ हैं लेकिन किसी हरिजन नेता के जन्म दिन की छुट्टी नहीं है। बाबा-साहब अम्बेदकर, गुरु रविदास, महर्षि बाल्मीकि के जन्म दिन की कोई छुट्टी नहीं है। पिछली बार गुरु रविदास के जन्म दिन की छुट्टी की थी जनता पार्टी ने, लेकिन अब उमको भी कौन्सिल कर दिया गया। इसलिए मेरी मांग है कि महर्षि बाल्मीकि, गुरु रविदास और बाबा साहब अम्बेदकर के जन्म दिन की छुट्टी होनी चाहिए। और अगर नहीं कर सकते तो आप सारी छुट्टिया बन्द कर दे, और हिन्दुस्तान में केवल दो छुट्टिया ही रहे—एक 15 अगस्त की और दूसरी 26 जनवरी की।

आखिरी बान मुझे यह कहनी है कि रिजर्वेशन आफ दी लिस्ट आफ शेड्यूलड कास्ट्स और शेड्यूलड ट्राइब्स के लिए पार्लियामेन्टरी कमेटी जरूर बननी चाहिए। एक कमेटी कांग्रेस ने 1968 में बनाई थी, जनता पार्टी ने भी बनायी थी। इसकी जरूरत क्यों है? आज अकेले असम में 35 लाख आदिवासी ऐसे हैं जो चाय के बागों में काम करते हैं लेकिन

They have not been recognised as scheduled tribes on political grounds.

दिल्ली में भी कानून है कि 1952 के बाद जो यहाँ आ कर बसते हैं उनको शेड्यूलड कास्ट्स और शेड्यूलड ट्राइब्स नहीं माना जायगा। वह हरियाणा में शेड्यूलड कास्ट्स हैं, लेकिन देहली में आ कर नहीं माने जाते। मेरा निवेदन है कि हिन्दुस्तान में कम से कम 1 करोड़ हरिजन आदिवासी ऐसे हैं जिनको उनके हक्क से बचित रखा गया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जम्मू और कश्मीर में हरिजन और आदिवासी नहीं हैं? काफी हैं। लेकिन एक भी मेम्बर उम स्टेट में उनका प्रतिनिधित्व यहाँ नहीं करता है। इसलिए मेरी मांग है कि इस प्रकार की एक कमेटी बननी चाहिए ताकि इस प्रकार अपने अधिकारों से बचित जो करीब 1 करोड़ के हरिजन और आदिवासी हैं उनको भी हम शेड्यूलड कास्ट्स और ट्राइब्स की श्रेणी में शामिल कर सकें और उनके अधिकारों को उनको वापस दे सकें।

MR CHAIRMAN: You have consumed the entire time allotted to your party. This is for your information and the information of your members.

श्री अरबिन्द नेताम (काकर) सभापति महोदय, कुछ कहूँ उससे पूर्व मैं गृह मंत्री जी को और कमिश्नर जिनकी रिपोर्ट है उनको और उनके सहयोगियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत महानत से बहुत अच्छी रिपोर्ट इस सदन के सामने उन्होंने पेश की है। यह 25वीं रिपोर्ट है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इस प्रकार

से मैं समझता हूँ कि जितनी मेहनत यह कमेटी करती है उस पर अगर पिछले 25 साल से गौर करें तो पायेंगे कि उसका जो परिणाम आना चाहिए वह हमें नहीं दिखता। इसलिए कि जितनी भी रिपोर्ट्स आयी हैं करीब करीब उन सब में बहुत सी पुरानी समस्याओं का भी जिक्र किया गया है। अभी सदन में बहुत मेहनत अधिकारियों ने जो हरिजन और आदिवासियों की समस्याओं के बारे में कहा है, मैं मुख्यतः आदिवासी क्षेत्र और उनकी समस्याओं के बारे में कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कम सदस्यों ने इस सम्बन्ध में कहा है।

सब से पहले मैं आपके माध्यम से गृह-मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि हरिजन और आदिवासियों की समस्याएं आर्थिक के साथ-साथ सामाजिक भी हैं। आदिवासियों की समस्याएं मुख्यतः आर्थिक हैं। इस रिपोर्ट के चैप्टर 8 में अगर देखेंगे तो उसमें जितने भी सुझाव उल्लेख हैं, यह सब आर्थिक समस्याओं से सम्बन्धित हैं।

मैं गृहमंत्री जी से खासतौर पर एक चीज कहना चाहूँगा कि इस सदन में, लोक-सभा में, संसद में इनकी रिपोर्टें पेश की गई हैं, उनमें सुझाव दिये गये हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं किया जा सका है और अगर कही किया भी गया है तो उसका परिणाम ठीक नहीं आया है।

जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं, उनमें प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी है। मैं मध्य प्रदेश के बरगाने जिले से आता हूँ, मैं जानता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार के लिए बस्तर जिला एक पनिश्मेंट डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। यह प्रशासन व्यवस्था आजादी के पहले भी वही थी, और आज भी वही है। जिन आदिवासी क्षेत्र को मजरा का जिला माना जाता है, उनमें अगर किसी जिम्मेदार अधिकारी को मजरा के तौर पर भेजे तो आप क्या उमीद उनसे कर सकते हैं कि जितने भी विकास के कार्य और योजनाएँ हैं उनको वह वहाँ सही ढंग से लागू कर सकेंगे।

संविधान की धारा 275 में उल्लेख है, मैं उसका अन्तिम वाक्य पढ़ रहा हूँ :—

“...Government of India for the purpose of promoting the welfare of the Scheduled Tribes in that State or raising the level of administration of the Scheduled areas therein to that of the administration of the rest of the areas of that State.”

इसके मुताबिक सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। मैं समझता हूँ कि केन्द्रीय सरकार की स्थिति ऐसी है कि वह संसद और राज्य सरकार के बीच पोस्ट-ऑफिस का कार्य कर रही है। मैं चाहता हूँ कि राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में जो प्रशासन व्यवस्था होनी चाहिए, उस में कहीं न

कहीं केन्द्रीय सरकार का दखल होना चाहिए। केन्द्रीय सरकार से काफी पैसा जाता है। उसका किस ढंग से वहाँ उपयोग होता है, इसकी सही तस्वीर केन्द्रीय सरकार के सामने नहीं आती। यह सबसे बड़ी समस्या है।

संविधान के तहत पाचवें शड्यूल में है कि गवर्नर की वहाँ पर विशेष भूमिका है आदिवासी क्षेत्रों के लिए और हर साल गवर्नर को राष्ट्रपति को रिपोर्ट देनी पड़ती है। यह रिपोर्ट गवर्नर सीधे-सीधे राष्ट्रपति को भेज देते हैं, ऐसी स्थिति में गवर्नर का रोल भी महत्वपूर्ण रोल है। मैं चाहूँगा कि केन्द्रीय सरकार में भी और राज्यपाल के व्यक्तिगत अधिकारों में भी कहीं न कहीं आदिवासी क्षेत्रों से सम्बन्धित व्यवस्था में कोई कर्प्सूल होना चाहिए ताकि समय समय पर सही तस्वीर राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति को दे सके।

आप इस रिपोर्ट पार्ट-1 के पेज 18, 19 में देख लीजिए, इसमें जो गवर्नरों को अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट आफ इंडिया को भेजनी चाहिए थी, उसमें कुछ ऐसे राज्यों का हवाला है जिनकी रिपोर्ट निर्धारित समय के अन्दर नहीं पहुँची हैं। इसमें बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान जैसे राज्यों के नाम हैं।

इसी तरीके से जो ट्राइबल एडवाइजरी काउन्सिल होती है हर राज्य में उनकी मीटिंगों के बारे में भी इसके पेज 19 में लिखा है कि आन्ध्रप्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और वेस्ट बंगाल में सब जगह 1977-78 में केवल एक बार मीटिंग हुई है। सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही दो बार मीटिंग हुई है। यह महत्वपूर्ण काउन्सिल होती है राज्य सरकार के लिए, जब कि इसकी बैठकें बहुत ज्यादा होनी चाहिये, हम देखते यह है कि एक साल में एक-एक मीटिंग ही हुई है।

मैं कहना चाहता हूँ कि राज्यों की ट्राइबल एडवाइजरी काउन्सिल की मीटिंग कम से कम दो तीन महीने में एक बार होनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण संस्था है।

जैसा कि मैंने कहा है, मुख्य समस्या आर्थिक विकास की है। अगर आप चैप्टर 8—ट्राइबल डेवलपमेंट, पेज 125 को देखें, तो उससे साफ़ जाहिर होता है कि अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था के अभाव में कोई काम नहीं हो पा रहा है। मैं उसको उद्घृत करना चाहता हूँ :—

“It is observed that the concept that tribal development is the responsibility of all the developmental departments took sufficient time to realise. Tribal development departments are still not headed by senior Officers in all the States.”

[श्री अरविन्द नेताम]

यह सब से बड़ा लैकुना है। जितने भी ट्राइबल ब्लॉक्स हैं, जिनके माध्यम से हम आदिवासियों का विकास करना चाहते हैं,—में मध्य प्रदेश की बात कह सकता हूँ—वहाँ ऐसे अफसर नियुक्त किए गये हैं, जो न तो सक्षम हैं और न ही तीव्र गति से काम करा सकते हैं। जब तक केन्द्रीय सरकार देश के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन की व्यवस्था में सुधार नहीं करेगी, तब तक हम चाहे जितना भी पैसा खर्च करें और कितनी भी योजनाएँ बनायें, वह सब बेकार होगा। रिपोर्ट के पेज 125 पर दो उदाहरण दिये गये हैं: बिहार का सिमदेगा ब्लॉक और उड़ीसा का गुनुपुर ब्लॉक। अगर गृह मंत्री महोदय इन दो उदाहरणों पर विचार करेंगे, तो वह स्वयं महसूस करेंगे कि ऐसी व्यवस्था के रहते हुए करोड़ों रुपये खर्च करने पर भी आदिवासियों का विकास नहीं हो सकेगा।

जहाँ तक जंगलों का सम्बन्ध है, आदिवासी जीवन में जंगल का महत्वपूर्ण स्थान है। आज विभिन्न राज्यों की जंगल-नीति केवल राज्यों के हितों की ही रक्षा करती है, आदिवासियों के हितों की रक्षा नहीं करती है। राज्य प्रशासन के द्वारा जिनके भी काम जंगल में हो रहे हैं, उन सब को राज्य सरकार केवल अपनी आय बढ़ाने के लिए कर रही है। मैं मध्य प्रदेश की बात कह सकता हूँ कि वहाँ सारी फ़ारेस्ट प्रोड्यूस, वनोपज, का दोहन, एक्सप्लायटेशन, केवल व्यापारियों या प्राइवेट कंटेक्टर्स के माध्यम से होना है। इस रिपोर्ट में सिफ़ारिश की गई है कि आदिवासियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यह काम आदिवासियों के को-आपरेटिव्स के द्वारा किया जाना चाहिए।

आदिवासियों को जंगलों में लकड़ी आदि की जो सुविधायें मिलती रही हैं, राज्य सरकारें उनमें दिन-दिन कटौती करती जा रही है। यह नहीं होना चाहिए। आदिवासियों की रक्षा और विकास के लिए उनको किसी न किसी तरीके से जंगल के साथ इनवाल्ब करना चाहिए। कमिश्नर साहब ने यह रिपोर्ट मेहनत कर के बहुत अच्छे ढंग से तैयार की है। मैं चाहूँगा कि मंत्री महोदय फ़ारेस्ट पालिसी के बारे में गम्भीरता से विचार करें।

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकारें बहुत प्लान्टेशन कर रही हैं। मेरे जिले में प्लान्टेशन केवल सागवान का हो रहा है, जो आदिवासियों के आर्थिक जीवन में बहुत सहायक नहीं हो सकता है के प्लान्टेशन उन पेड़ों, विशेष कर फलदार वृक्षों, का होना चाहिए, जो आदिवासी जीवन में आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिसके बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है।

तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि खास कर के एक्साइज के बारे में। उस दिन मैंने एक्साइज पालिसी के बारे में कहा था। इस समय मैं खास

तौर से यह कहना चाहूँगा, मध्य प्रदेश के बारे में इसमें लिखा है:

“Madhya Pradesh Government had earlier implemented the new excise policy and covered five districts, namely, Bastar, Surguja, Jhabua, Mandla and Jashpur tehsil of Raigarh district. From 1-4-1977 the policy has been extended to other districts, namely, Raipur, Bilaspur, Sidhi and entire district of Raigarh.”

इस रिपोर्ट में जिम ङग मे बान कही गई है वहाँ तक तो सच है। पर आज जो स्थिति है वह ठीक इसके उल्टे है। पिछले दो सालों से राज्य सरकार ने अपनी आय बढ़ाने के लिए ये सारी सुविधाएँ वापस ले ली हैं। मैंने उम दिन भी कहा था और आज भी गृह मंत्री से कहना चाहूँगा कि आदिवासियों का शराब से गहृत घनिष्ट सम्बन्ध है। उन के धर्म में, उन की सामाजिक परम्परा से शराब जुड़ी हुई है। आप इस में इनकार नहीं कर सकते। इसलिए राज्य सरकार केवल अपनी आय बढ़ाने की दृष्टि से उम के बारे में न सोचे। मैं चाहूँगा कि इस के अलावा और भी जितने आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ शराब चाहे ठेकेदारों के माध्यम से चल रही हो या सरकार अपने ऑपर्टमेंट के माध्यम से चला रही हो आदिवासियों को उसके लिये छूट मिलनी चाहिए पीने के लिए और बनाने के लिए। मैंने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 1 अप्रैल के पहले इन नीतियों को लागू नहीं किया गया तो हम इस के खिलाफ आन्दोलन करेंगे, यह मैं गृह मंत्री से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ क्योंकि इस में हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। नई जो पालिसी सरकार ने बनाई है हम उस को बिलकुल बदोष नहीं करेंगे।

अन्त में खास तौर पर इम्पेक्ट आफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में जो रिपोर्ट में कहा गया है उस के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि यह बहुत अच्छी बात कही गई है। आदिवासी क्षेत्र में अगर आप बिना सोचे समझे उद्योग लगाएंगे तो हमारे सामाजिक जीवन पर इस का बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, उद्योग बढ़ें परन्तु उस के बढ़ने के पहले क्या क्या कामप्लीकेशंस हमारे सामाजिक जीवन में होते हैं उम का प्रोटेक्शन होना चाहिए, तब वहाँ इण्डस्ट्री खोलनी चाहिए। जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी खनिज संपदा है वह आदिवासी क्षेत्र में है, लेकिन मैं समझ नहीं सका, इतने साल आजादी के बाद भी आज तक वह चाहे राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो, वह वहाँ छोटे उद्योग लगाने के बारे में सोच नहीं सकी। खास कर आदिवासी क्षेत्रों में मैं यह कहूँगा कि बड़े उद्योगों के बजाय छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाय। उद्योग

से हमारे आदिवासी जीवन में कोई कामप्लीकेशन पैदा न हो इस का ध्यान रखा जाय। इसी सदन में पि.फ्यू लोक सभा में यह बात आई थी, बैलाडीला में, वस्तर जिले में जो हम लोगों ने सामाजिक समस्याएं झेली हैं वह हम लोग जानते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इण्डस्ट्री के मामले में छोटे उद्योगों को ज्यादा महत्व दिया जाय।

दूसरी बात इस रिपोर्ट में कही गई है, उसे उधृत कर के मैं खत्म कर रहा हूँ।—

“However, it is surprising that backward districts like Bastar in Madhya Pradesh and Phulbani in Orissa are not included in the list of industrially backward districts. It is, therefore, suggested that all the sub-plan areas and tribal regions should be included in the list of backward areas eligible for purposes of capital subsidy so that entrepreneurs may be attracted to establish industries in the tribal areas. In fact higher subsidy should be provided for tribal areas.”

यह जो बात रिपोर्ट में कही गई है, मैं गृह मंत्री से आप के माध्यम से कहना चाहूँगा, अगर वह चाहते हैं कि अधिक दृष्टि से हम उन्नति करें और वहाँ की जो अनिज सम्पदा है उस का ठीक ढंग से हम उपयोग कर सकें तो यह जो रिकमेंडेशन है इस पर विशेष तौर से वह ध्यान देंगे और इण्डस्ट्री से हमें जो भी समस्याएँ हो रही हैं जैसा मैंने कहा उस और भी ध्यान देंगे और मैं चाहूँगा कि आनेवाले साल में भारत सरकार की ओर से बड़ी इण्डस्ट्री के लिए बिना इस बात का सर्वे किए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ताकि हमें सामाजिक समस्याओं का सामना न करना पड़े।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार कमिश्नर साहब का और माननीय गृह मंत्री को भी धन्यवाद देता हूँ। कमिश्नर साहब ने यह बहुत अच्छी रिपोर्ट पेश की है और काफी अच्छी सिफारिशें की हैं।

श्री जी० पी० यादव (मुंगेर) : सभापति जी, यह रिपोर्ट 25वीं रिपोर्ट है और हमें राजाजद हुए आज 33 वर्ष हो गए हैं। 33 साल में हम 25 बार इस रिपोर्ट को देख चुके हैं। दोनों पक्ष, इधर वाले भी और उधर वाले भी, 6 साल से मैं भी इसका पाटनर हूँ इसलिए इसका दोष और गुण सभी को स्वीकार करना चाहिए, मैं भी स्वीकार करता हूँ। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ।

अब सवाल यह है कि हमारा विचार क्या है ? रिपोर्ट आती और जाती रहेंगी। एक से एक बढ़िया शब्दों में कितनी ही रिपोर्टें आई

हैं उनका आप अन्दाज़ कर लीजिए। सेण्ट्रल सेक्ट्रे-रियट लाइब्रेरी में मैंने पुछवाया कि कितनी रिपोर्टें आई हैं तो पता चला कि कुल मिला कर 37 हजार रिपोर्टें, छोटी और बड़ी सभी मिला कर आई हैं। केवल हरिजनों पर नहीं, सभी मामलों की यह रिपोर्टें हैं। लेकिन इन रिपोर्टों पर जो होता है वह सभी जानते हैं।

इस रिपोर्ट में कितनी भी रेकमेंडेशन हैं उनसे अधिक अगर कोई बोलें तो मैं उसको बेकार समझता हूँ। इससे ज्यादा कोई बोल ही नहीं सकता है। सवाल इसके इंप्लीमेंटेशन का है। विचार और व्यवहार भेकेंसे इसको लावे—यह सवाल आता है। उदाहरण के लिए मैं मकवाना जी से आग्रहपूर्वक कहूँगा कि इस सम्बन्ध में सब से मौलिक मुद्दा इस देश के मानस को तैयार करने का है। उदाहरण स्वरूप एक हरिजन खेत में, खलिहान में काम करे, खलिहान तक अनाज को ले आवे वहाँ तक अनाज में कोई छूत नहीं हुई लेकिन जब वह अनाज कोठी में चला जावे तो कोठी के मालिक का अनाज सछूत हो गया और हरिजन अछूत हो गया जिसने कि उस अनाज को पैदा किया। इस विचार को हमें परिवर्तित करना होगा।

इसी प्रकार से देहातो में सभी बच्चे घरों में ही पैदा होने हैं और प्रसूतिगृह में सब से पहला काम करने वाली दाई जो होती है वह किसी न किसी प्रकार शेडयूल्ड कास्ट महिला ही होती है। बच्चे को पालने पोसने वाली महिला अछूत और जब बच्चा बड़ा हो गया तो वह सछूत। हमें आज इस बात पर विचार करना होगा कि इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं। यह एक खास मुद्दा है जिस पर आपको सोचना विचारना होगा।

रह गई बात आसुओं की तो आसू दो तरह के होते हैं—घड़ियाली आसू और सहृदयी आसू। घड़ियाली आसू से हम देश को बचायें—यह एक मुद्दा भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। हम बड़ी-बड़ी बानें हरिजनों के उद्धार की करते हैं लेकिन केवल बात करने से कुछ नहीं होगा। हम देश के खजाने में और कुर्सी में हरिजनों की जो मांग है और जितना उसका हिस्सा है, कम से कम उसका बटवारा कर देने की क्षमता हमारे मन में होनी चाहिए। अगर बटवारा कर देने की क्षमता नहीं होगी तो फिर आप समझ लें कि जब जनता सरकार आई तो उसने अन्त्योदय प्रोग्राम चला दिया और उससे पहले बीस सूची कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिजनों में जमीन का बटवारा किया गया था दो सौ स्ववायर गज़ मैक्सिमम प्रति परिवार था। जनता सरकार ने अन्त्योदय के अन्तर्गत एक भैंस या तीन बकरियाँ दे दी थी। रोते हुए बच्चे को जिस प्रकार से भुनरुना पकड़ा दिया जाता है उसी तरह से एक भैंस या पांच बकरियाँ दे दो और अन्त्योदय हो गया। उसकी जो नेशनल नीडस हैं, नेशनल स्टेण्डर्ड के आधार पर जो मौलिक नीडस बनाई गई हैं, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस देश के एक नागरिक की, एक हरिजन की मिनिमम नीडस क्या हैं, सब से पहले उन के आधार पर एक

[श्री डी० पी० यादव]

नीड-वेस्ट-प्रोग्राम बनाइये और यह निश्चय कीजिए कि सब से पहले हरिजन को मिलेगा और उसके बाद सबर्णों को मिलेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए।

अब रह गई बात—इम्प्लीमेंटेशन की। समय बहुत कम है—मैं उस में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जहाँ तक संस्कार बनने और बनाने का ताल्लुक है, मैंने शिक्षा मंत्री की हैसियत में बड़े नज़दीक से देखा है कि शिक्षकों का सामाजिक परिवर्तन में बहुत बड़ा हाथ होता है। मकवाना जी में मेरा निवेदन है, वह इस समय यहाँ नहीं है, उनके साथी यहाँ पर बैठे हैं, वे एक बात नोट करे कि इस देश में शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की बहाली केवल पेमेण्ट या रोज़ी-रोटी के लिए नहीं कीजिए, बल्कि मज़बूत शिक्षक, खूब निष्ठावान और सजग शिक्षक इस देश में बहाल कीजिए। ऐसे शिक्षक तैयार किये जाय तो बहुत अच्छा होगा। मेरा सुझाव है कि कम से कम एक लाख ऐसे शिक्षक ज़रूर तैयार किये जाय जो हरिजन बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें।

मैंने रिपोर्ट में केन्द्रीय विद्यालय की चर्चा भी पढ़ी थी। मुझे ख़शी है कि केन्द्रीय विद्यालयों के निर्माण में मैंने भी योगदान दिया है। मैं यह मांग करूँगा कि केन्द्रीय विद्यालयों में अधिक से अधिक बच्चे हरिजनों और आदिवासियों के लिए जाय। कानून बनाने वाले लोग बड़े चालाक होते हैं, धूर्त होते हैं—होता क्या है कि सरकारी नौकरियों के लिए पालिया-मेण्ट और प्रसेम्बली में कानून पास करा कर आटोनामम बाडी बना देते हैं और उस को गैर-सरकारी कह देते हैं। सारी सुख-सुविधाएँ उसमें डाल दी जाती हैं, चाहे हरिजन-आदिवासी चूल्हे में जाये, उस की किसी को चिन्ता नहीं होती है। इस प्रकार से ठगी और भ्रष्टता से बनी सस्थाएँ आज शोषण के अड़े बन गये हैं। वहाँ भी इन को बराबर का अधिकार दिया जाय, तभी ईमानदारी से आप हरिजनों का उद्धार कर सकते हैं।

एक उदाहरण मैं हाल का देता हूँ—मेरी समझ में इस देश में राज तीन आदमी करते हैं—दारोगा, बी० डी० और उससे ऊपर उठे तो कलक्टर। 11 जन, 1979 की बात है—मेरे अपने क्षेत्र में हरिजन की हत्या हुई, उसका नाम था—जगदेव पासवान। ता० 17 तक उस की कोई एफ० आई० नं० नहीं लिखी गई। जब मैं लौट कर आया और उस क्षेत्र में गया तो वहाँ जो दारोगा थे और जो तत्कालीन मंत्री थे, कहने लगे कि अब यादव जी आ गये हैं इसलिए कुछ हंगामा होगा। इस लिए एफ० आई० नं० दर्ज की जाय और दफा 164 में वह दर्ज की गई। उसके बाद प्रसेम्बली में बड़ा हंगामा हुआ, चूँकि एक हरिजन की हत्या हुई है, इसलिए कुछ करना चाहिए। सीभाग्य से या दुर्भाग्य से कहिये—वहाँ श्री राम सुन्दर दास मुख्य मंत्री थे, उन्होंने गवान दिया कि हम स्पेशल कोर्ट बनायेंगे लेकिन जगदेव पासवान की हत्या का कागनीजेंस उस बन्त तक नहीं लिया गया। सात दिन तक मैं जेल में रहा और उसके बाद मैंने कहा कि जब तक

इस हत्या काण्ड की जांच ठीक से नहीं होगी, मैं जेल में रहना पसन्द करूँगा, तब जा कर एफ० आई० नं० आर० लाज हुआ। मैंने यह एक छोटा सा उदाहरण आप के सामने रखा है। मैं यह नहीं कहता कि मैं ही ऐसा हीरो हूँ जो हरिजनों के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ, लेकिन यह एक एक्ज़ाम्पल है, तर्क है। आज इस सदन को इम की गटराई में जा कर देखा होगा। मैं भाई रामविलास पासवान से भी निवेदन करूँगा—अगर इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि हरिजनों के साथ जो एट्रासिटीज़ की घटनाएँ होती हैं—उन के पीछे कुछ इतिहास है, उस इतिहास की गहराई में हम को जाना होगा। उदाहरण के लिए पिपरा काण्ड की बहुत चर्चा हुई है—14 हरिजनों को मारा गया, लेकिन प्रश्न यह है कि यह घटना क्यों घटी? इस घटना के पहले 26 कुर्मों लोगों की हत्या किस प्रकार से हुई, उस हत्या का ओरिजिन क्या था मेरा मतलब है दोनों हत्याओं का ओरिजिन क्या था—उस की गहराई में जाना चाहिए। इसके लिए सोशल इकानामी और सोशल कल्चर दोनों ज़िम्मेदार हैं। इन तमाम बातों को लेकर हम सोचेंगे तब समस्या का समाधान होगा। नारे-बाजी या वोट लेने के लिए या अखबारों में नाम छपाने के लिए हम ने पालिया-मेण्ट में स्पीच दी या रेडियो पर हमारी स्पीच आ जाय—इस तरह के धड़ियाली आसू छटानेवाली बात से काम नहीं चलेगा। हमें यह देखना है कि जितनी भी ट्राइम रिपोर्ट्स हैं उन सब में कुछ हरिजन हैं और कुछ सबर्ण हैं—इस का कारण क्या है? इस का आर्थिक कारण है या वे डिमनल्ज क्यों बने हैं, मैं उस में नहीं जा रहा हूँ लेकिन उन का आपस में टकराव क्यों है? यह गौर करना होगा।

अन्त में मैं इतना ही कहूँगा कि इस देश के हरिजनों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े लोगों को किसी की दया का पात्र नहीं बनाइये। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भाषण दे दिया था कुछ कह दिया तो उस से उन का उद्धार हो जायगा या चौधरी चरण सिंह ने भाषण दे दे दिया तो उस से उन का उद्धार हो जायगा—ऐसी बात नहीं है। यदि आप हरिजनों को किसी की दया का पात्र बनायेंगे तो वह कभी भी अपने पैरो पर खड़ा नहीं हो सकेगा। उसके अन्दर जो आत्मबल चाहिए, वह नहीं आ सकेगा। उसके संस्कार को जगाइये, इसके लिए जिन उपायों की आवश्यकता है, उस के लिए दोनों पक्ष आपस में बैठ कर बात करें और मैं समझता हूँ सारा सदन और सारा देश इसके लिए तैयार रहेगा।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हूँ और मकवाना साहब को भी धन्यवाद देता हूँ—वे इस को यहाँ लाये और मुझे भी बोलने का अवसर मिला ।

श्री दलीप सिंह एरिया (झाबुआ) : सभापति महोदय, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने अनुसूचित जातियों तथा अनुपूचित जनजातियों की रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत की और उस पर इतनी जल्दी चर्चा करने का मौका मिला, इस के लिये मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ ।

माननीय मंत्री महोदय ने आदिवासी प्लान्ज के बारे में चर्चा की । मैं भी मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र से आता हूँ, मेरे क्षेत्र में भी आदिवासी तीन सब प्लान्ज चल रहे हैं । यह बड़ी विडम्बना है कि जब हम आकड़ों की बात करते हैं तो हमें इस रिपोर्ट में करोड़ों के आकड़े मिलते हैं, लेकिन जब हम गांव में पिछड़े हुए आदिवासियों के मकानों को देखते हैं, तो जो हालत आज से 32 साल पहले थी, वही हालत आज भी दिखाई देती है । अगर मैं यह कहूँ कि शोषण का कोई अंश है, अष्टाचार की कोई चरागाह है तो वह आदिवासी एरिया है । हम को इस बात पर गम्भीरता से विचार करना होगा कि चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, मनीजेंडर हो, दुकानदारी का काम करने वाला हो, 30 साल पहले उस की क्या आमदनी थी और आज उस को क्या आमदनी है, आदिवासी एरिया में जा कर ही उस को देखें तो वह लक्षपति हो गया है, लेकिन आदिवासी आज भी वहीं है, वही पहले था ।

बैंकों के द्वारा ऋण देने की बात कही गई है । जब हमारे देश में महकारिता आन्दोलन चला, हमारे बैंकों का नेशनलाइजेशन कर के मरीब किसानों को लोन दिये गये, लेकिन उस के बाद यह शिकायत आने लगी कि उन कमजोर वर्गों को जो लोन दिये गये, उन में अधिकांश फर्जी थे । उन सोमायटियों में जो पदाधिकारी थे, वे सब खा गये, क्योंकि वे उन कमजोर वर्गों को ऊपर उठने नहीं देना चाहते थे । आज वे किसान डिफाल्टर हो गये हैं ।

सभापति महोदय, मेरी यह मांग है कि हमारे जो आदिवासी किसान हैं, उन के कर्जे माफ होने चाहिए । आज वे बैंकों के कर्जे में डूबे हुए हैं और दूसरे बैंक उन को लोन नहीं देना चाहते हैं । मैं खास तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि मेरे इस सुझाव पर विचार किया जाना चाहिए ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे श्री चन्द्रजीत यादव ने एक बात यह कही और यह ठीक बात कही कि अत्याचार जो होते हैं, वे खासकर, हरिजन आदिवासी एरिया में होते हैं । उन की इस बात से मैं हसहमत हूँ, मगर इस रिपोर्ट में यह साफ लिखा हुआ है कि 1976-77 और 1978 में 75 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई

और यह जनता पार्टी के राज्य में हुई है । मैं एक ताजा उदाहरण देना चाहता हूँ और यह मेरे जिले का मामला है । एक आदिवासी हमाली का धंधा करने वाला 35 वर्षीय भील खुमजी, 9 फरवरी को एक बाजार में आया था और उस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और तीन घंटे के बाद उस की मृत्यु हो गई । वह पुलिस कस्टडी में मारा गया । यह खेद जनक घटना है । हमारी प्रधान मंत्री ने भी यह कहा है कि हमारा जो पुलिस विभाग है, उस के बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि पुलिस का क्या कर्तव्य होना चाहिए । हमारे यहां थाना रानापुर में पहले एक आदिवासी पुलिस कस्टडी में मर गया था । यह दूसरी घटना है । वे क्यों मारे जाते हैं, यह देखने की बात है । उन में कुछ खामियां रहती हैं और वे ये हैं कि वे पुलिस को रिश्तत नहीं देते । रिश्तत लेने के लिए पुलिस उन को मारती है । हमारे होम मिनिस्टर साहब को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जहां पर आदिवासी और पिछड़ी जातियों के लोग रहते हैं वहां पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए ।

शिक्षा की बात अब मैं करता हूँ । आजादी के बाद गांव-गांव में स्कूल खोले गये । प्राइमरी स्कूलों में अगर हम देखें तो लाखों लड़कों के नाम दर्ज होते हैं मगर पास होने में उन का परसेन्ट जीरो रहता है । पहले पहली कक्षा में उन का नाम लिखा जाता है और पांचवी क्लास के बाद जाने के बाद फिर वापस पहली क्लास में नाम दर्ज हो जाता है । इस तरह की बातों को भी समाप्त करना चाहिए ।

एक बात यह और कहना चाहता हूँ कि दूध, दलिया बाटने का काम भी प्राइमरी स्कूलों के टीचर को सौंप दिया जाता है और इसी में ही दिन भर उन का खराब हो जाता है और बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पाती । इस को चलाने के लिए कोई दूसरी एजेन्सी होनी चाहिए । आदिवासी जो भीख नहीं मांगता है, आज वह दूध, दलिया खाने के लिये दिन भर खड़ा रहता है । इस को पाने के लिये वह कीमती समय बरबाद करता है । इस के साथ ही एक सुझाव यह देना चाहता हूँ कि गांवों में जो स्कूल खुले हैं, वे काफी दूरी पर हैं और शहरों से टीचर वहां पर रोज साइकिलों पर आते हैं और दो, चार घंटे ही वहां रहते हैं और चले जाते हैं । इस के अलावा यह भी होता है कि महीनों तक वे स्कूल नहीं जाते हैं और फर्जी हाजरी, एटेडेंस हो जाती है । इस मामले को भी देखा जाना चाहिए और इस के लिए मेरा सुझाव यह है कि 5 किलोमीटर के अन्दर एक आश्रम अवश्य होना चाहिए जिस में 200 लड़कों के रहने की व्यवस्था होनी चाहिए और वे एक साथ रहें और वहीं पर उन के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए । इस मामले में गुजरात राज्य धक्का है । मैंने जो यह सुझाव दिया है, उस के लिए पूरा खर्चा शासन को उठाना चाहिए । इस तरह की व्यवस्था हमारे

[श्री दलीप सिंह भूरिया]

होम मिनिस्टर को करनी चाहिए, जिससे हमारे यहां जो आदिवासी लोग हैं, वे आगे आए और पढ़ने लिखने के बाद उन को अच्छी नौकरी मिले। एक बात यह भी कहना चाहता हू कि यहां पर रिजर्वेशन की बात आई है। हमारे मध्य प्रदेश में झाबुआ जिला है, जहां पर 85 प्रतिशत आदिवासी लोग रहते हैं।

मगर आप देखेंगे कि वहां का जो कलेक्टर है वहां तीन सौ बाबू रहते हैं। अगर कोई आदिवासी वहां जा कर अपनी पोस्टिंग के लिए कहता है तो कहा जाता है कि यहां पोस्टिंग राजनीतिक व्यक्ति करते हैं। वहां तीन सौ बाबुओं में से आपको एक भी आदिवासी नहीं मिलेगा। आपको इन पिछड़े हुए जिलों के साथ न्याय करना पड़ेगा वहां एक भी व्यक्ति आदिवासी नहीं है, सब दूसरे वर्ग के लोग हैं। उन्होंने एका किया हुआ है। इस पर भी मंत्री महोदय को विचार करना होगा।

आज हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को दूर करना होगा। हमारे समाज को इन से ऊपर उठना होगा, जो हमारी प्रधान मंत्री इंदिरा जी चाहती हैं। तभी जा कर वह ही मकेंगे नहीं तो हम लोग भी समद में भाषण कर के चले जाएंगे और समाज वही का वही पिछड़ा हुआ रह जाएगा। इसको कैसे ऊपर उठाया जाए इसके लिए हमें करना और कयनी के अन्तर को दूर करना होगा।

जैसा कि अभी हमारे साथी ने कहा कि अगर आपको आदिवासियों की हालत को सुधारना है तो इनके लिए आपको एक लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। आजकल क्या होता है कि कोई भी वर्ग का आदमी आदिवासी इलाके में जाता है जहां उसके पाम पहले एक बम होती है, वहां दम साल के बाद वह दम बसो का मालिक हो जाता है। शराब का ठेकेदार अगर वहां आता है तो वह भी पांच मानों में बहुत पैसे वाला बन जाता है। यह सब किस का पैसा है? यह कहा ने आया यह सब आदिवासियों का पैसा है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हू कि हम लोग इतना पैसा देते हैं मगर वहां जो केनाल है, उस में क्रेक है। उस क्षेत्र में पानी जाना चाहिए। जिस क्षेत्र को आज हरा-भरा दिखना चाहिए वह हरा-भरा नहीं दिख रहा है। उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है और बराबर पानी नहीं मिल रहा है। उसको सींचा नहीं जा रहा है। आदिवासियों के बारे में आपको खास तौर पर देखना होगा कि उन्हें सभी सुविधाएं मिलें। आदिवासी देश के लिए इतनी कुर्बानी किये हैं, उन लोगों ने देश के लिए इतना संघर्ष किया है और वे आज रोजी-रोटी को भी तड़फ रहे हैं।

इंडस्ट्रियल एरियाज कहा बनते हैं? वे पिछड़े हुए इलाकों में नहीं बनते हैं क्योंकि वहां पानी

नहीं मिलता है, रहने को और सुविधाएं नहीं मिलती हैं। फेक्ट्री के जो बड़े बड़े लोग और मैनजर आते हैं उनके बच्चों के पढ़ने की वहां कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसलिये आपको उन पिछड़े हुए इलाकों में मकानों की, पानी की, जमीन की, बिजली की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करनी होंगी। तभी वहां इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी।

मेरा क्षेत्र झाबुआ है। वहां मेहनगर में फास्फोराइट मिलता है। उम फास्फोराइट से वहां सुपर फास्फेट फर्टिलाइजर का कारखाना खोला जाना चाहिए। इसके लिये श्री आप को सब सुविधाओं की वहां व्यवस्था करनी होगी। अगर आप इन सुविधाओं की वहां व्यवस्था नहीं करते हैं तो आदिवासी वही का वही रहेगा, उम इलाके का विकास नहीं होगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हू। नेताम साहब ने भी यह बात कही है कि शराब का सम्बन्ध आदिवासियों के धार्मिक त्यौहारों से जुड़ा हुआ है। अगर दीवाली है, होली है, शादी-व्याह है, तो दूसरे समाज वाले तो अगर बत्ती और नारियल से पूजा करते हैं लेकिन आदिवासी-शराब में पूजा करता है। मैं इस बात से सहमत हू कि शराब पीना अच्छा नहीं है। मगर जिन का धार्मिक परम्पराओं से सम्बन्ध है उन को तो इस की छूट मिलनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए।

अन्त में मैं आप का आभारी हू कि आप ने मुझे समय दिया और मंत्री महोदय ने मेरी बातों को सुना। इस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

SHRI P. K. KODIYAN (Adoor):
Mr Chairman, Sir the atrocities perpetrated on the Harijans and other weaker sections have naturally attracted the attention of the entire country.

All right-thinking people, all well-meaning sections of our people, irrespective of their community or caste, are seriously worried over the mounting incidents of violence and cruelties on the harijans. I do not want to go into the details of the various incidents that have been reported from various parts of the country recent months. But, what I want to point out is that these atrocities are not of a recent development or of recent occurrence. Atrocities had taken place in the past and atrocities are taking place at the present moment and atrocities are bound to continue for some time more. I do not want to make an

attempt by quoting statistics on atrocities in order to show that maximum number of atrocities had taken place in a particular regime or in a regime of a particular party. In my opinion, these are fruitless and meaningless. Irrespective of the party which is in power or which was in power, atrocities on harijans and other weaker sections should be the concern of every political party of this country, whether ruling party or opposition party because, atrocities on the harijans and other weaker sections is a national dishonour. Why is it that despite various assurances given by the Government, despite various good suggestions made by the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, in his latest Report, and also in earlier reports and despite very good suggestions made by Parliaments Standing Committee on Scheduled Castes and Scheduled Tribes these atrocities are continuing? Why is it happening? Why are we not in a position to protect the harijans and other weaker sections from this continued violence and killings? Is it merely due to the ageold deep-rooted caste prejudices and caste division and social prejudices that exist among the Hindu people?

Some hon. Members while analysing the causes for these atrocities had stated that the main reason or the first reason is caste prejudices and caste division and, as long as caste divisions remain, these atrocities are bound to happen, I do not fully subscribe to this view but at the same time, I want to point out that the caste distinctions and the caste prejudices have a big role to play in committing the atrocities on harijans and other weaker sections. But, I want to bring to the notice of the hon. Members and also the hon. Minister, if he is prepared to listen, that we have to open our eyes to the villages, the countryside of India, the rural India and to find out the real causes for the growing social tensions in the villages. In

my opinion, the spate of atrocities which have been reported from various parts of the country in the recent period were as a result of the propertied class in the village trying to suppress the awakened harijans and other weaker sections, who have started asserting their rights. When the harijans and other poor people assert their rights on land their rights to construct a house, and have their own house-sites, have their own little plots of land to fill when they assert their right to work, and also to get remunerative wage for their work—when these rights are asserted by the poor harijans who are in many areas agricultural workers—then what happens is that the propertied classes (whether of the old feudal type, the remnants of the old feudal system, or of the neo-rich class that is emerging in the villages, either of the forward caste or of the backward caste) pounce upon those poor people mainly because they had audacity, they had the courage, for the first time in their thousand-year old history to stand erect assert their rights. So, this is the root cause of this growing tension in the villages in our country today. The caste prejudices and caste divisions existing in our villages are increasingly being utilised by the landlords and the neo-rich people in order to better their own class interest. In other words, the difference between class conflict and caste conflict is getting narrow day by day in the villages of India as a result of the agricultural workers, the landless people, organising themselves into their own class organisations and asserting themselves and starting their struggles for their rights. So, we have to realise this important aspect of the development in the rural India, the struggle for socio-economic changes which is taking place in the villages of India. So, unless this aspect of the development in the villages is grasped, any amount of suggestions, any amount of pontification from Ministers from that side, is not going to save the poor people of this country. This is my exper-

[Shri P. K. Kодиyan]

ience. I have been associated with Agricultural workers, Harijans and other people, for the last several years and I can say, I have travelled almost all over the country. I have gone to villages in almost all States in India and I have myself participated in a number of struggles of these poor people. And from my own experience I can tell you this. This is the main cause of the growing conflict in the villages. That is why I say it is bound to continue for some time more. Only when the outmoded remnants of the feudal system and also the emerging neo-rich, start realising the fact that a new militant force has emerged in the villages of India and that the harijans and other poor people are no longer prepared to live like slaves, but are prepared to fight for their rights and die for their rights, rather than live like slaves and then only they will withdraw from this violence and cruelties. Therefore, my question is this. The Government has announced various measures and recently the Prime Minister herself has announced the revival of the 20-point programme, etc. etc. which gives some concessions to the landless people and agricultural workers. The question is whether Shrimati Indira Gandhi and her Government, after announcing this would come forward to help these poor people for asserting their rights for a small piece of land, a small plot of land for constructing their house or for getting the statutorily fixed minimum wage and other similar rights? When they struggle for asserting such rights, whether Shrimati Indira Gandhi and her Government, hon. Minister, Shri Makwana and other colleagues will come forward with the full strength, power and authority of the State to give protection to these poor people in the struggle for their rights. That is the fundamental question. As a person who has been working among these poor people I have to pose this fundamental question.

During Emergency when 20-point programme was announced, in various parts of the country poor people came forward to take part in the programme. But they had to suffer quite a lot, and everywhere the State machinery failed to protect them. Therefore, my request to the Government is, if you are sincere, please back up these poor people in their struggle against the exploiters in the countryside.

Now, the basic question that faces them is the economic problem. I have already mentioned about land, wage, etc. Is there any machinery to ensure that despite all the lacunae and loopholes the existing land ceiling laws of the various State would be implemented? Sir, you know the result of the implementation of land ceiling legislation. How much surplus land has been taken over and how much has been distributed? The report of the Commissioner has given the figures which show that the progress was totally unsatisfactory. I would like to know what machinery is going to be instituted in order to ensure the implementation of land ceiling legislation. Similarly, there is the question of wage. Is there any machinery, to see that the statutorily fixed minimum wage rate is enforced? Can you say that in most States such a machinery exists?

MR CHAIRMAN: Your time is over. Please conclude.

SHRI P. K. KODIYAN: I am concluding. Lastly, I appeal to the hon. Minister to see that the basic economic question is solved in a satisfactory manner. While moving the motion for consideration, the hon. Minister himself said that the main question is how to solve their economic problems. I hope he would take concrete action in this respect.